PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

अक्टूबर-2019 | अंक-3

भारत में पराली दहन

वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारक

- सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ का विचार: एक विश्लेषण
- ड्रॉफ्ट मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019: एक परिचय
- राज्यों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का रिपोर्ट कार्ड: एक मूल्यांकन
- भारत और चीन : द्वितीय अनौपचारिक वार्ता बैठक, 2019
- नोबेल पुरस्कार-2019 : एक अवलोकन
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
1st RANK
Vaibhav Mishra
1st RANK
Arvind K. Singh
1st RANK
Himanshu Gupta
1st RANK
Abhinav R. Shriwastava
UPPCS में विगत 8 वर्षों में 4 बार प्रथम रैंक
फिर लहराया परचम
इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए...
इस वर्ष भी UPPCS 2017 में 150+ चयन
(ध्येय IAS टीम एवं छात्रों द्वारा किये गए प्रतिबद्ध और समर्पित प्रयासों का परिणाम)
ध्येय IAS की तरफ से UPPCS-2017 में अंतिम रूप से
चयनित सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं
टॉप 50 में हमारे स्टूडेंट्स
Anupam Mishra Rank-2
Shatrughan Pathak Rank-4
Nidhi Dodwal Rank-5
19 RANKS IN TOP 50
6
150+ TOTAL RESULT
RANKS IN TOP 10
Govind Maurya Rank-7
Divya Ojha Rank-9
Vinay Kumar Singh Rank-10
Ankit Shukla Rank-13
Yogesh Gaur Rank-17
Deepak Kr. Pal Rank-18
Renu Singh Rank-19
Jagmohan Gupta Rank 20
Mayank Rank-23
Priyanka Bajpai Rank-28
Devvrat Rank-29
Shivam Mishra Rank-35
Harshita Singh Rank-36
Pratibha Mishra Rank-40
CHANDRA PRAKASH TIWARI Rank-42
Saumya Singh Rank-46
& many more...
dhyeyaias
dhyeyaias.com
/dhyeya1
STUDENT PORTAL
FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अक्टूबर-2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में पराली दहन : वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारक
- सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ का विचार: एक विश्लेषण
- ड्रॉफ्ट मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019: एक परिचय
- राज्यों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का रिपोर्ट कार्ड: एक मूल्यांकन
- भारत और चीन : द्वितीय अनौपचारिक वार्ता बैठक, 2019
- नोबेल पुरस्कार-2019 : एक अवलोकन
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में पराली दहन : वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारक

चर्चा का कारण

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सर्दियों में दिल्ली को पराली के प्रदूषण से बचाने हेतु 'एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (Advanced Air Quality Early Warning System-AAQEWS) को विकसित किया है।

परिचय

सर्दियों में पूरे उत्तर भारत में विभिन्न कारणों के चलते वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को रबी की फसल की बुवाई हेतु जल्दी खाली करने के लिए उत्तर भारत (मुख्यत: पंजाब व हरियाणा राज्य) के किसान फसल के अवशेष अर्थात् पराली को जलाते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है, यह स्थिति दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में काफी गंभीर रूप धारण कर लेती है। सर्दियों में होने वाले इस प्रदूषण से बचने हेतु सरकारें (केन्द्र एवं संबंधित राज्य) हर साल कई कदम उठातें हैं।

एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वर्निंग सिस्टम क्या है

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था 'भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे' ने पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु सराहनीय कार्य किया है। इस संस्थान ने एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस सिस्टम के तहत 15 साल का पराली जलाने (Stubble Burning) का डाटा एकत्र किया गया है। इस डाटा के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जायेगा कि किसान कब और कहाँ पर अपनी फसल के अवशेष को जला सकते हैं। एएक्यूईडब्ल्यूएस के डाटा को सी-डैक (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC) द्वारा विश्लेषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सी-डैक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) दिशा-निर्देशित करेगा। एएक्यूईडब्ल्यूएस के तहत न सिर्फ 3 दिन पहले ही यह बताया जा सकता है कि आगे वायु प्रदूषण का स्तर कैसा रहेगा, बल्कि यह सिस्टम वायु में पीएम 2.5, पीएम 10, धूल आदि की मात्रा भी बतायेगा।

कारण

सर्दियों में उत्तर भारत (मुख्यत: दिल्ली एनसीआर) में प्रदूषित वायु के बादल (स्मॉग या धुएँ) छा जाने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं-

- खरीफ सीजन की फसलों (मुख्यत: धान) को यदि किसान हाथों से काटेगा और फसल अवशेष को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से निपटान करेगा तो उसे इस कार्य में न सिर्फ ज्यादा वक्त लगेगा बल्कि श्रम लागत (Labour Cost) भी अधिक हो जाती है। इससे कृषि का लागत मूल्य काफी उच्च हो जाता है और किसान को घाटा होता है। अत: इस स्थिति से बचने के लिए और रबी की फसल की सही समय पर बुवाई हेतु किसान अपने फसल के अवशेष (पराली) को जलाना उचित समझता है।
- किसानों में ऐसा भ्रम भी फैला हुआ है कि फसल के अवशेष को जलाने के बाद व्युत्पन्न हुई राख मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है।
- सरकार ने पराली को सुरक्षित रूप से निपटाने हेतु बड़ी संख्या में उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त मशीनों (यथा-हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, जीरो टिल ड्रिल आदि) को सब्सिडी देकर बाजार में उपलब्ध कराया, किन्तु किसानों का इन मशीनों की ओर रुझान कम रहा, इसके निम्नलिखित कारण हैं-
  - जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि पराली के जलाने से उत्पन्न राख को किसान मृदा की उर्वरता हेतु अच्छा मानते हैं और मशीनों द्वारा पराली के निपटान को हानिकारक। उनका मानना है कि पराली के निपटान वाली मशीनों मृदा की गुणवत्ता को कम कर देंगी।
  - मशीनों का मूल्य सब्सिडी के बाद भी उच्च है, अत: इसे छोटे व मझोले किसानो के द्वारा खरीद पाना काफी मुश्किल है। हालाँकि सरकार ने इसके उपाय हेतु सहकारी संस्थाओं मशीनों की खरीद पर लगभग 75 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध करायी थी, ताकि किसान किराये पर इन संस्थाओं से मशीने ले सकें किन्तु भ्रष्टाचार की वजह से इसमें अपेक्षानुरुप सफलता नहीं मिल पायी है।
- भारत के पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में फसल प्रतिरूप वहाँ की जलवायु के मुताबिक नहीं है। विद्युत पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी देने पर उन्होने बोरवेल (नलकूप) के माध्यम से जमकर भूमिगत जल का दोहन किया है ताकि यहाँ धान जैसी खेती करके अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। अत: राज्य सरकार द्वारा किसानों को विद्युत और जल पर दी जाने वाली अविवेकहीन सब्सिडी ने अन्य समस्याओं के अलावा पराली के जलाने की भी समस्या खड़ी की है।
- पराली जलाने वाले राज्यों (यथा-हरियाणा, पंजाब आदि) में एक तो मजदूरी महँगी है और दूसरी तरफ धान की कटाई के वक्त पर्याप्त संख्या में मजदूर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम लागत बढ़ायी है, अत: किसानों को सस्ते मजदूर नहीं मिल पाते हैं। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से पंजाब, हरियाणा आदि में भारी संख्या में मजदूर आते थे परंतु अब स्थानीय स्तर पर अपने राज्यों में ही मनरेगा के माध्यम से मजदूरी मिलने के चलते कम संख्या में मजदूर पलायन करते हैं।

- भारत में धान की कम एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) भी इसके अवशेषों को जलाने के लिए किसानों को मजबूर करता है। भारत में चालू वित्त वर्ष में धान की एमएसपी 18,15 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गयी है, जबकि अन्य धान उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस, थाइलैंड आदि में धान पर सब्सिडी भारतीय रुपये के अनुसार 25,00 से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल है।
- सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की तरफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि से हवाएँ आती हैं। पंजाब व हरियाणा से ये हवाएँ पराली आदि से उत्पन्न हुए प्रदूषण को लाती हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदूषण के साथ-साथ नमी (Moisture) भी लाती हैं। अतः प्रदूषण और नमी मिलकर दिल्ली एनसीआर में एक भयंकर स्मॉग के बादल का निर्माण करते हैं।
- दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सर्दियों में यहाँ हवाएँ आकर ठहर सी जाती हैं और दिल्ली के चारों तरफ एक कम्बल का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत यदि चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों की तरह यहाँ भी हवाओं में गतिशीलता होती तो प्रदूषण के बादल छट सकते थे, किन्तु समुद्र के न होने के कारण स्थलीय व समुद्री समीर का प्रवाह नहीं होता है और पवनें ठहर सी जाती हैं।
- दिल्ली एनसीआर में इंफ्रॉस्ट्रक्चर के निर्माण आदि में नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, जिससे धूल निर्मित होती है और जब सड़कों पर तेज गति से वाहन दौड़ते हैं तो यह धूल उड़कर वायुमण्डल में मिश्रित हो जाती है।
- बड़े-बड़े वाहनों और औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाला जहरीला धुआँ भारी मात्रा में वायु को प्रदूषित करता है।

पराली के जलाने से हानि

पराली अथवा फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- पराली या अन्य फसल अवशेषों को जलाने से मृदा की उर्वर क्षमता नष्ट होती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी हो जाती है। इस कारण अगली फसल में उच्च उत्पादकता हेतु किसान और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करता है। इससे देश पर खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ने के साथ-साथ किसानों की कृषि लागत भी बढ़ जाती है। चूँकि रासायनिक खाद का भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है तो इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है और देश के विदेशी भण्डार में कमी आती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान इसी तरह पराली को जलाते रहे और उसकी भरपायी हेतु अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब समूचे क्षेत्र की भूमि बंजर हो जायेगी। इस प्रक्रिया में अनियंत्रित रूप से भूमिगत जल का दोहन भी भूमिका निभायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजाब व हरियाणा में धान की खेती और उसके अवशेषों को जलाना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करने की ओर अग्रसर है।
- किसी भी मृदा में ह्यूमस (Humus) सैकड़ों वर्षों से तैयार होता है। मृदा के ह्यूमस में पौधों की वृद्धि हेतु लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु (यथा-बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि), नमी और कई अन्य जैविक तत्त्व (यथा-पेड़-पौधों का अवशिष्ट आदि) उपस्थित होते हैं। पराली के जलाने से मृदा की ह्यूमस को भारी मात्रा में क्षति पहुँचती है, जिसका कृत्रिम रूप से भरपायी कर पाना लगभग असंभव है।
- पराली में आग लगाने से जैव विविधता को भी नुकसान पहुँचता है। पौधों के अवशेषों में कई प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं जिनकी आग के कारण असामयिक मृत्यु हो जाती है, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- कृषि के अवशेषों को जलाने से कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड समेत अनेक जहरीली गैसें निकलती हैं, जो मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती हैं। इन गैसों से श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आयी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्वास संबंधी रोगों से हर वर्ष लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है।
- पराली के जलने से निकलने वाली गैसें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में इजाफा करती हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की तीसरी विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत का हिमालयी क्षेत्र काफी अधिक प्रभावित हो रहा है, यहाँ वर्षा और बाढ़ का पैटर्न बदल बदल रहा है जो लाखों लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि पराली या अन्य कृषि अवशेषों को जलाने से फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में घट सकती है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ सकता है। जब देश की एक चौथाई से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हो और अपनी खाद्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हो तो खाद्यान्न पैदावार में कमी सरकार के समक्ष गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। हाल ही में जारी हुए 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 117 देशों में 102वाँ स्थान प्राप्त हुआ जो देश की कुपोषण स्थिति को बखूबी बयाँ करता है।

सरकारी प्रयास

- केन्द्र सरकार ने पराली के उचित प्रबंधन हेतु हैप्पी सीडर जैसी मशीनों में और अधिक सब्सिडी बढ़ायी (50 से 80 प्रतिशत तक) है।
- पराली प्रबंधन में केन्द्र, राज्य एवं अन्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें प्रधनमंत्री के प्रमुख सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी), संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और पर्यावरण से संबंधित अधिकारी शामिल हैं।
- किसानों के भ्रम मिटाने हेतु लगातार संवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और अन्य सामाजिक समूहों की भूमिका को बढ़ाने के साथ-साथ सब्सिडी में और अधिक पारदर्शिता पर बल दिया जा रहा है।
- सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने हेतु ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू किया है। इसके तहत खुले में कचरा जलाने, डीजल जनरेटर, ढाबों-रेस्तरों में लकड़ी व कायेले के इस्तेमाल आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें प्रावधान है कि अधिक मात्रा में धुआँ छोड़ते वाहनों पर जुर्माना लगाया जायेगा और सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की गयी है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पराली से होने वाले प्रदूषण पर अपनी पैनी नजर रखता है और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करता है।

सुझाव

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने धान की कई नयी उन्नत प्रजातियाँ विकसित की हैं जो ना

केवल अन्य प्रचलित प्रजातियों से अधिक उत्पादन देंगी बल्कि ये कम पानी के प्रयोग से ही जल्दी तैयार हो जाती हैं और इनमें कीटों, बीमारियों आदि का प्रकोप भी कम होता है। सरकार के द्वारा इन प्रजातियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि इनके प्रयोग से किसानों की कृषि लागत कम आये और रबी की बुवाई हेतु ज्यादा समय भी मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खेती से अधिक फायदा सुनिश्चित होगा तो किसान खुद अपने खर्चे से पराली का प्रबंधन, इस्तेमाल और निस्तारण बहुत ही सरल जैविक और प्रदूषण रहित तरीके से करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पूरे देश में सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों पराली जलाते हैं, इसका प्रमुख कारण रबी फसल की बुवाई हेतु कम समय व मजदूरों की कमी है।

- धान पर एमएसपी को कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित सम्बन्धित लागत के डेढ़ गुने के आधार पर घोषित किया जाये।
- धान की कटाई और झड़ाई में लगे मजदूरों को मनरेगा के माध्यत से सरकार अपनी तरफ से भुगतान कर सकती है।
- पराली को पशुओं के चारे के उपयोग के रूप में बढ़ावा दिया जाये।
- आइआइटी हैदराबाद और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने पराली व अन्य कृषि कचरे से जैविक ईंटें (बायो ब्रिक्स) बनाया है। इनका भवन निर्माण आदि में उपयोग करके फसलों के अवशेष के उचित प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग मैटेरियल तैयार किया जा सकता है।

आगे की राह

सरकार के दिल्ली - एनसीआर में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम सराहनीय हैं, किन्तु इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन को और अधिक सुनिश्चित करना होगा। सरकार को सिर्फ पराली के उचित प्रबंधन पर ही ध्यान न देकर अन्य प्रदूषण के क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आइआइटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने का हिस्सा सिर्फ 25 प्रतिशत ही रहता है, बल्कि बाकी 75 प्रतिशत हिस्सा अन्य प्रदूषण के स्रोतों से आता है। अतः सरकार को स्रोतों पर ध्यान देने के साथ-साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रदूषण नियंत्रण के लघुकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों लक्ष्य सध सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ का विचार : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने देश में लोगों को न्याय मिलने की देरी पर चिंता जतायी तथा इस समस्या के समाधान के लिये उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ को स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रणाली की मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार करने, लंबित रिक्तियों को भरने तथा देश में न्याय देने की गति और गुणवत्ता में सुधार करने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने विभिन्न न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक लंबित मामलों पर चिंता जतायी जो कि लगभग 50 वर्षों से लंबित हैं।

परिचय

भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा की गयी थी। इसका मुख्य न्यायिक अधिकार प्रांतीय और संघीय राज्यों के विवाद को निपटाना था। आजादी के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु संघात्मक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक-पृथक न्यायिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यहाँ एकात्मक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, कार्य, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकर्ता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है।

सर्वोच्च न्यायालय के खण्डपीठ की आवश्यकता क्यों

- आजादी के उपरान्त शुरूआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ (पाँच या उससे अधिक न्यायाधीश) 70 से 80 मामले प्रतिवर्ष निपटाती थी, किन्तु वर्तमान में यह दर 10 से 12 मामले प्रतिवर्ष हो गयी है। इन निर्णयों में संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न भी शामिल होते हैं। यदि गौर करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिल्मों पर प्रतिबंध से संबंधित, लोकहित याचिका से संबंधित या फिर पुलिस या अन्य सरकारी तंत्र द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग से संबंधित मामले भी निपटाये जाते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में वाद या मामलों के दायर होने में काफी विविधता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कुछ मामले किसी क्षेत्र विशेष से अधिक घनिष्ठता रखते हैं, ऐसे में यदि सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ होगी तो इन मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी।
- केन्द्र एवं राज्य के बीच के विवाद, दो राज्यों के बीच के विवाद, दीवानी एवं आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील, एवं कानून से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना आदि मामले भी सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कई बार दबाव में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्याय में विलंब हो जाता है जिसका नकारात्मक प्रभाव स्वयं न्यायपालिका पर पड़ता है। कानूनविदों की राय है कि विभिन्न हाईकोर्ट से जुड़ी अपील का निपटारा नजदीकी खण्डपीठ में आसानी से हो सकता है। इसके लिए खण्डपीठ कम समयान्तराल में सुनवाई की तारीखों को सुनिश्चित करके मामलों को त्वरित गति से निपटा सकती है। जबकि दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने संबंधित मामलों को दिल्ली से ही कर सकती है। इससे सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य पक्षों को काफी आसानी होगी।
- भारत का आम नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत राज्य द्वारा अपने मूल अधिकारों पर होने वाले अतिक्रमण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन सुदूर क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए दिल्ली तक की यात्रा करके अपने

मूल अधिकारों की रक्षा हेतु मुकदमा लड़ना काफी मुश्किल होता है और यह स्थिति तब और गम्भीर हो जाती है जब भारत की लगभग एक तिहाई जनसंख्या निरपेक्ष गरीबी के चपेट में हो। इसलिए विद्वानों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की दूरी आदि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त अधिकार को सीमित करते हैं। अत: देश के विभिन्न भागों में सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की आवश्यकता है।

- भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। यहाँ अभी समान रूप से परिवहन सुविधायें स्थापित नहीं हो पायी हैं। परिवहन व्यवस्था (जल, स्थल और वायु) के उपयुक्त व तीव्र न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। गौरतलब है कि भारत के कई क्षेत्र वर्ष के विभिन्न मौसम में पूरे देश से अलग-थलग पड़ जाते हैं, जैसे- सर्दियों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आदि और वर्षाकाल में बिहार, बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थितियाँ काफी विकराल हो जाती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय तक आम लोगों को पहुँचने में अधिक धन और समय खर्च करना पड़ता है जिससे न्याय महँगा हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये भी क्षेत्रीय खण्डपीठ की जरूरत है।
- भारतीय उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ के कारण निर्णय में तीव्रता नहीं है। इससे पीड़ित व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतएव इन समस्याओं के उचित निपटारे के लिये सर्वोच्च न्यायालय के खण्डपीठ का सुझाव दिया जा रहा है।
- कई बार किसी सामान्य व्यक्ति के लिए सुदूर क्षेत्र से दिल्ली की यात्रा सुलभ नहीं हो पाती है, ऐसे में वह न तो ठीक ढंग से वकील का चुनाव कर पाता है और न ही अपने प्रकरण को जानकारी के अभाव में न्यायालय के समक्ष पेश कर पाता है। इससे न्याय प्राप्त करने में देरी तो होती है, साथ ही न्याय काफी खर्चीला हो जाता है।
- भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। विद्वानों का मानना है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित होंगी तो संबंधित क्षेत्र के लोग वादों हेतु अपनी संस्कृति व भाषा के अधिवक्ताओं को चुन सकेंगे और उन्हें अपनी बात अधिक मुखर ढंग से बता सकेंगे। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ सकेंगे, जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।

विधि आयोग का सुझाव

सर्वोच्च न्यायालय में खण्डपीठ का निर्माण होना चाहिए, इस तरह की सिफारिश विधि आयोग ने कई बार दी है। मार्च 1984 में, न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के दो डिविजनों अर्थात् संवैधानिक प्रभाग और कानूनी प्रभाग में बाँट देना चाहिए। ग्यारहवें विधि आयोग के अध्यक्ष ए. आर. लक्ष्मणन ने सिफारिश की थी कि उच्चतम न्यायालय की देश के विभिन्न क्षेत्रों में चार खण्डपीठ होनी चाहिए। यदि विधि आयोग की इस रिपोर्ट पर विचार करें तो दुनिया भर में कई देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली अथवा भारत के किसी स्थान पर खण्डपीठ का गठन कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 145(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत अपील की पद्धति, प्रक्रिया व विनियमन के लिये भी नियम बना सकती है। चूँकि वर्तमान में न्यायपालिका के पास अपीलीय मामलों की संख्या अधिक है, अत: वह इन मामलों के लिये क्षेत्रीय खण्डपीठ का भी गठन कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय खण्ड पीठ के गठन के पक्ष में तर्क

- पी. रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक (2002) मामले में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने यह कहा कि न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है, इसी बात को सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैन आरा मामले में भी दोहराया कि शीघ्र न्याय प्रदान करना, अपराधिक मामलों में तो और भी अधिक जरूरी है, यह राज्य का संवैधानिक दायित्व भी है। अत: देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी पीड़ित व्यक्तियों को सही समय पर न्याय न मिलने के प्रति चिंतित दिखती है, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान में संवैधानिक बुद्धिजीवियों द्वारा उठाया जा रहा यह प्रश्न कि भारत में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ की आवश्यकता हो, को स्वीकार करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह विधिक तंत्र को इस प्रकार सुनिश्चित करे कि सभी को समान अवसर के साथ न्याय सुलभ हो सके। किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक परिस्थिति या अन्य निर्योग्यता के आधार पर न्याय के समान अवसर से वंचित न होना पड़े। न्याय के क्षेत्र को विस्तारित करने के लिये भी खण्डपीठ के गठन की जरूरत है क्योंकि यह आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है कि वह अपनी भौगोलिक, आर्थिक एवं किसी सामाजिक दबाव के कारण न्याय से वंचित न रह जाये।
- संसद की स्थायी समिति द्वारा वर्ष 2004, 2005, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना हेतु सिफारिश की गयी है। वर्ष 2008 में स्थायी समिति ने परीक्षण आधारित कम से कम एक बेंच की आवश्यकता को चेन्नई में स्थापित करने पर जोर दिया।
- भारत में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह आकलित किया जा सकता है कि मामलों की संख्या में भविष्य में बढ़ोत्तरी होगी, अतएव क्षेत्रीय खण्डपीठ स्थापित करना उचित सुझाव हो सकता है।
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ज्यादातर मामलों की सुनवाई में दो या तीन जजों की बेंच गठित होती है। भारत में जनसंख्या और न्यायाधीशों की संख्या का अनुपात 13 प्रति दस लाख लोगों पर है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ को स्थापित करने से जजों की संख्या में बढ़ोत्तरी तो होगी तथा साथ ही साथ स्थानीय लोगों तक सही समय में न्याय को भी पहुँचाया जा सकेगा। विधि आयोग ने इस समस्या से निजात पाने के लिए क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना पर बल दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय में अपील की दर दिल्ली या उसके आस-पास के क्षेत्र की ज्यादा है। ध्यातव्य है कि सन् 2006, 2007, 2008 और 2011 के आँकड़ों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय की अपील की औसत दर 9.31% है जबकि उत्तराखण्ड, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अपील दर 5% है। वहीं अन्य उच्च न्यायालय जैसे हिमाचल प्रदेश 3.21%, बाम्बे 3.0% से मद्रास उच्च

न्यायालय की 1.1% है जिससे यह तो साफतौर पर झलक रहा है कि न्याय देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय अपेक्षानुरूप नहीं मिल पा रहा हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस 3 से 7 लाख तक है, जिसको केवल धनी व्यक्ति ही उठा सकता है। यदि क्षेत्रीय खण्डपीठ बना ली जाए तो क्षेत्रीय अधिवक्ता भी उन मामलों को देख सकेगा जो आम लोगों की पहुँच के दायरे में होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय खण्डपीठ के विपक्ष में तर्क

- विधि आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार मानने से इंकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि इससे एकीकृत न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा।
- कुछ न्यायाधीशों जैसे एच एल दत्तू का यह तर्क है कि क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना से न्यायालय की प्रतिष्ठा धूमिल होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि क्षेत्रीय खण्डपीठ के गठन से न्यायिक विकेन्द्रीकरण होगा जिससे न्यायिक विश्वास में कमी आयेगी।
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन पर किये जा रहे खर्च के लिये पर्याप्त बजट आवंटित नहीं हो रहा है तो क्या इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा सकेगा जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बार-बार नियुक्तियों में निष्पक्षता न होने का आरोप लगाया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ स्थापित होती है तो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ उनकी नियुक्ति में निष्पक्षता को बिना स्थानीय प्रभाव के बनाये रखना चुनौतीपूर्ण होगा।
- कुछ संवैधानिक विचारकों का यह भी तर्क है कि इससे संघीय ढ़ाँचे की संरचना पर भी असर पड़ेगा जो कि संवैधानिक मापदंडों के विपरीत होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय खण्डपीठ के गठन से उसमें फैलने वाले भ्रष्टाचार को रोक पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे में उस पर राजनैतिक प्रभाव बढ़ेगा तथा मीडिया की पहुँच भी कम हो सकने की संभावना हो सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय में आने वाले वाद की प्रकृति को देखते हुए खण्डपीठ का गठन किया जाता है और यह परिवर्तनीय होता है। यदि खण्डपीठों का गठन किया जाता है तो इस व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाये रखने में कठिनाई होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ को यदि स्थापित किया जाता है तो कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव है जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में मामलों को व्यवस्थित तरीके से देखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना की जाती है तो उनके आधारभूत संसाधनों को कैसे पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या प्रावधान करेगी? इसके बारे में स्पष्टता कम है।

आगे की राह

कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं जिनमें कोलकाता, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में क्षेत्रीय खण्ड-पीठ का गठन भी किया गया है। इन क्षेत्रीय खण्डपीठ का गठन, उक्त राज्यों के भौगोलिक रूप से बड़ा होने के कारण तथा न्याय तक सभी की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये यह किया गया है। ऐसे में यह सवाल ठीक ही है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जो कि इतने बड़े देश के लिये एक ही जगह पर है, उसका क्षेत्रीय विभाजन शायद अनुचित नहीं है। बहरहाल इसका समाधान देश की संसद और न्यायपालिका को मिल-जुलकर निकालना होगा जिससे आम व्यक्ति को सस्ता और उचित समय में न्याय मिल सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

■

3. ड्रॉफ्ट मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 : एक परिचय

चर्चा का कारण

हाल ही में संघ शासित प्रदेश 'चंडीगढ़' के प्रशासन ने गृह मंत्रालय से चंडीगढ़ में 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' (Model Tenancy Act, 2019-MTA) को लागू करने की सिफारिश की है। जुलाई, 2019 में सार्वजनिक किये गये 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम' के मसौदे पर चंडीगढ़ प्रशासन को अधिकतर सकारात्मक रुझान प्राप्त हुए हैं।

परिचय

भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) के मसौदे को तैयार किया था। हालाँकि इससे पहले भारत सरकार ने 'बजट 2019-20' में इस प्रकार के अधिनियम को बनाने की बात की थी ताकि भारत में हाउसिंग सेक्टर की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के प्रारूप या मसौदे में मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए परिसरों को अनुशासित व सक्षम तरीके से किराये पर देने में उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें समाज के हर वर्ग (प्रवासी लोग, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, पेशेवर लोग, विद्यार्थी, महिलाएँ इत्यादि) के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सम्पन्न किराये के आवास तक पहुँच को बढ़ाना है।

आवश्यकता क्यों

भारत सरकार द्वारा मॉडल किरायेदायी अधिनियम, 2019 के प्रारूप को लाने के पीछे निम्नलिखित कारणों को देखा जा सकता है-

- 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग एक करोड़ घर खाली पड़े हैं जबकि भारी संख्या में लोगों के पास रहने हेतु घर नहीं है।
- कई बार ऐसा देखा गया है कि मकान मालिक किरायेदारों का अनावश्यक शोषण करते हैं, अतः इस शोषण से बचाने हेतु मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के प्रारूप को लाया गया।

- कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि किरायेदारों ने ही मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है, अत: संपत्ति धारकों या मकान मालिकों के हितों की रक्षा हेतु इस तरह के अधिनियम की आवश्यकता है।
- भारत में अभी भी भारी संख्या में रिहायशी मकानों की कमी है, अत: लोगों को किफायती मूल्य पर उपयुक्त घर की आपूर्ति सुनिश्चित करना अति आवश्यक है।
- ज्यादातर दुकानों या अन्य संपत्ति का मालिक कोई दूसरा होता है जबकि उसमें व्यवसाय करने वाला कोई और होता है, अत: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में संपत्ति के मालिक और उद्यमियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु इस मसौदे अधिनियम की आवश्यकता थी।
- पिछले कुछ वर्षों से आवास क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
- भारत सरकार ने सन् 2015 में एक मिशन '2022 तक सभी के लिए आवास' (Housing for All by 2022) की शुरूआत की थी। इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सभी को घर/मकान उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन इस मिशन में सरकार ने लोगों के स्वयं के मकान (Ownership Housing) पर अधिक ध्यान दिया है, जबकि दूसरे पक्ष किरायेदारी पर ध्यान नहीं दिया गया है, अत: किरायेदारी की प्रासंगिकता को देखते हुए इस प्रकार के मॉडल अधिनियम की आवश्यकता थी।
- भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवासन की दर अधिक है और इसमें ऐसे श्रमिकों की संख्या ज्यादा है जो मौसमी रोजगार पाने हेतु शहर आते हैं। इस कारण किसी खास समय में शहरों पर जनसंख्या दबाव काफी अधिक बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न तरह की सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय आदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस समस्याओं से निपटने हेतु 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' जैसे प्रगतिशील कदमों की अति आवश्यकता है।

एमटीए, 2019 प्रारूप के प्रावधान

मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए), 2019 के प्रारूप में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

- एमटीए में शिकायत समाधान की मजबूत व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किराया प्राधिकरण (Rent Authority), किराया न्यायालय (Rent Court) और किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) शामिल हैं।
- इसमें आवासीय सम्पत्ति एवं वाणिज्यिक (अर्थात् गैर आवासीय) संपत्ति, दोनों को किराये पर उठाने हेतु संपत्ति मालिक द्वारा किरायेदार से ली जाने वाली जमानत राशि (Security) का प्रावधान है। आवासी सम्पत्तियों के मामले में अधिकतम दो महीने के किराये के बराबर जमानत राशि की सीमा प्रस्तावित है। गैर-आवासीय संपत्ति के मामले में यह सीमा एक महीने के किराये की है। उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर किराये के मकानों की भारी माँग है, वहाँ मकान मालिक काफी अधिक जमानत राशि (पगड़ी) माँगता है।
- मकान मालिक किरायेदार से तभी किराया ले सकता है जब उन दोनों के बीच लिखित किरायेदारी समझौता (रेंट एग्रीमेंट) हुआ हो। जैसे ही किरायेदारी समझौता कार्यान्वित होता है तो दो महीने के अंदर-अंदर मकान मालिक एवं किरायेदार, दोनों को किराया प्राधिकरण को सूचित करना होगा अर्थात् रेंट एग्रीमेंट का विवरण प्रस्तुत करना होगा। रेंट एग्रीमेंट का विवरण देने के बाद प्राधिकरण सात दिनों के अंदर मकान मालिक और किरायेदार, दोनों पक्षों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करेगा।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद (अर्थात् इस मसौदे के कानून में परिवर्तित होने के बाद) कोई भी व्यक्ति लिखित समझौता किये बिना न तो परिसर को किराये पर दे सकता है और न ही कोई व्यक्ति परिसर को किराये पर ले सकता है।
- मॉडल अधिनियम संपूर्ण राज्य (भारत) यानि राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।
- किरायेदारी समझौता तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफार्म स्थापित किया जायेगा।
- मॉडल अधिनियम में मकान के मरम्मत के खर्चों को मकान मालिक एवं किरायेदार में स्पष्ट तौर पर वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मकान की किन चीजों का मकान मालिक अपने खर्चे से मरम्मत करायेगा और किन चीजों का किरायेदार अपने खर्चे से मरम्मत करायेगा, इसका स्पष्ट विभाजन मॉडल अधिनियम में देखने को मिलता है।
- मॉडल अधिनियम के प्रारूप को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसे अपनाने के लिए राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जायेगा।

आलोचना

विशेषज्ञों ने 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' के मसौदे की कई आधारों पर आलोचना की है, जिन्हें निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- भारत में ज्यादातर किरायेदारी समझौता लिखित में न होकर मौखिक ही होते हैं, अर्थात् मकान

मालिक जान-पहचान वाले व्यक्ति को भरोसे पर किराये पर मकान या अन्य परिसर दे देता है। मॉडल अधिनियम में इस प्रकार के मौखिक समझौतों के बारे में किसी भी तरह के प्रावधान नहीं हैं।

- भारत में अभी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित है, जो किसी भी प्रकार के दस्तावेजीकरण से बचता है। अतः ऐसे में आलोचकों का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद भी लोग किरायेदारी की औपचारिक व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- सरकार ने किरायेदारी से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटल प्लेटफार्म पर अपलोड करने की भले ही सुविधा दी है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास इन्हें अपलोड करने की न तो डिवाइस (यथा-मोबाइल, लैपटाप आदि) है और न ही वे डिजिटल रूप से साक्षर हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट व विद्युत आदि की आज भी समस्या काफी गंभीर है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
- यदि लोग विभिन्न चुनौतियों या समस्याओं के चलते किरायेदारी की कानूनी व्यवस्था में शामिल नहीं हुए तो सरकार को इसे सूक्ष्म स्तर पर विनियमित करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
- लोगों को कानून का डर दिखाकर सरकारी अधिकारी उनका शोषण कर सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल सकता है।
- कुछ विशेष आवासीय एवं गैर-आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में मकान की माँग अधिक होती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हाई क्लास सोसायटी में कई मकान खाली पड़े रहते हैं। सरकार ने इस प्रकार की असमितताओं को मिटाने हेतु 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' के मसौदे में प्रावधान नहीं किये हैं।
- आवासीय एवं गैर-आवासीय (अर्थात् वाणिज्यिक), दोनों प्रकार के परिसरों के उपयोग के आधार में काफी अंतर है। आवासीय परिसर सामाजिक क्षेत्र के विषयों से (यथा- स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर रहने वाला किरायेदार का संबंध स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके बच्चों की शिक्षा का समयकाल लम्बा होता है इसलिए उनका सामाजिक क्षेत्रक विषयों से जुड़ाव अधिक हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ गैर-आवासीय या वाणिज्यिक परिसर पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। अतः जब उपर्युक्त दोनों प्रकार के परिसरों में उपयोग के आधार पर भिन्नता है तो सरकार को मॉडल अधिनियम में भी इनके विनियमन हेतु पर्याप्त भिन्नता रखनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है।
- भारत में वर्तमान में शहरी क्षेत्रों (मुख्यतः महानगरों) में किराये पर मकानों की माँग काफी अधिक है, जिनकी आपूर्ति का भार निजी क्षेत्र पर है। सरकार ने मॉडल मसौदें में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है जिससे कि सरकारी स्तर (केन्द्र एवं राज्य) पर इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्तमान में ऐसा भी देखा जा रहा है कि किराये पर रहने वाली महिलाओं (मुख्यतः ऐसी महिलाएँ जो अपने घर से दूर अकेले किराये पर रहती हैं) की सुरक्षा भी एक चुनौती के रूप में उभर रही है। महिलायें घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालाँकि यह समस्या शहरी एवं ग्रामीण, दोनों जगह है किन्तु शहरी क्षेत्रों में इसने अपेक्षाकृत ज्यादा विकराल रूप धारण किया हुआ है। मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के मसौदे में अवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को नहीं शामिल किया है जो इस मॉडल अधिनियम की सीमितता को प्रदर्शित करता है।
- भारत में जिन क्षेत्रों में किराये के परिसरों (आवासीय एवं गैर-आवासीय) की माँग ज्यादा है, वहाँ निजी क्षेत्र के लोगों ने अपने लालच के चलते बेतरतीब ढंग से बिल्डिंगों का निर्माण किया है, यहाँ तक कि यह कार्य उन क्षेत्रों में भी हुआ है जो भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली जैसे महानगर भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं किन्तु लोगों ने किराये के लालच में अनियोजित तरीके से मकानों का निर्माण किया है। यह स्थिति किरायेदारों की जान को जोखिम में डालने वाली है, लेकिन सरकार ने इससे निपटने हेतु किरायेदारी अधिनियम में प्रावधान नहीं किये हैं।

सुझाव

- यह देखा गया है कि शहरों में उन प्रवासी श्रमिकों की आगत ज्यादा होती है जो मौसमी रोजगार पाने हेतु आते हैं। सरकार को इन संवेदनशील वर्ग के लोगों को किराये पर मकान स्वयं उपलब्ध कराना चाहिए ताकि इनका अनावश्यक शोषण निजी क्षेत्र के द्वारा न हो सके। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार कुछ मकान खुद किराये पर उपलब्ध करायेगी तो माँग और पूर्ति का बेहतर संतुलन स्थापित होगा तथा मकानों का किराया अचानक नहीं बढ़ेगा।
- मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा का मसौदा जब व्यावहारिक धरातल पर अधिनियम के रूप में आये तो इसके प्रावधानों व प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफार्म को जो लोग प्रयोग कर पाने में अक्षम हैं उन्हें 'डोर-स्टेप डिलीवरी' जैसी सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए, अर्थात् प्रशासन लोगों के घर खुद जाकर सुविधाएँ प्रदान करे।
- सरकार को मुजबानी किरायेदारी समझौतों पर भी गौर करने की जरूरत है।

आगे की राह

यद्यपि मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के मसौदे में अनेक अच्छे प्रावधान दिये गये हैं परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। यह मसौदा अभी भी जनता की राय जानने हेतु पब्लिक डोमेन में है, जिस पर लोगों ने अपनी राय व सुझाव भी दिये हैं, अतः सरकार को लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए इस मसौदे को एक प्रगतिशील कानून की शक्ल देनी चाहिए ताकि किरायेदारी क्षेत्र का भी समयानुकूल विकास हो सके। किसी भी कानून की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यवहार में क्रियान्वयन कैसे हुआ है, अतः सरकार को किरायेदारी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन पर बल देने की आवश्यकता है और भविष्य में इसमें समय की जरूरत के मुताबिक संशोधन भी करते रहना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

4. राज्यों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का रिपोर्ट कार्ड : एक मूल्यांकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग-कंडिशनेलिटी रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स फॉर 2018-19 (Health System Strengthening-Conditionality Report of States For 2018-19) जारी की है। इस रिपोर्ट में हर आयामों को देखते हुए राज्यवार स्वास्थ्य संबंधित आँकड़े जुटाये गए हैं।

परिचय

नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ आमजन के नजरिये से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी अहम है। बीमारी का अपना अर्थशास्त्र है। इसलिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगातार जुटी है, लेकिन ये काम राज्यों के सहयोग से ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। किंतु केन्द्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राज्यों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन जारी है। केन्द्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसे राज्यों को दी जानी वाली आर्थिक मदद में कटौती का फैसला किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद में कटौती की जाएगी। इसके साथ ही जिन राज्यों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।

राज्यों के प्रदर्शन का मानक

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत राज्यों को प्रत्येक वर्ष निधि प्रदान की जाती है। विदित हो कि राज्यों के प्रदर्शन का जिन मानकों पर आकलन किया गया है, उनमें स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का संचालन (Health and Wellness Centre's-HWCs), एनएचएम कार्यक्रम के तहत शामिल जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (शहरी और ग्रामीण दोनों) की ग्रेडिंग शामिल हैं। ऐसे में जो राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें सरकार राज्यों को आवंटित राशि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त धन मुहैया कराती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 80 प्रतिशत राशि राज्यों की आबादी, पिछड़ेपन व क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है, जबकि 20 प्रतिशत धन-राशि राज्यों के द्वारा चयनित मानकों के आधार पर, जिन पर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, दी जाती है। विदित हो कि करीब 3265 करोड़ रुपये के इस बजट को सभी राज्यों को आवंटित किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इतने बजट के बावजूद कई राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव धीमी गति से देखने को मिल रहा है।

गौरतलब है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर बनाने के मकसद से केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने पिछले वर्ष रैंकिंग प्रणाली शुरु की थी। इसके तहत जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से 16 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जबकि 20 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दिल्ली समेत उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। जबकि हरियाणा और पंजाब की स्थिति में काफी सुधार आया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली समेत 10 राज्यों का स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर प्रदर्शन के कारण उन पर दण्ड (Penalty) लगाया है। चार राज्यों-सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड को -20 (ऋणात्मक अंक) अंकों के साथ बाहर कर दिया है। जिन 16 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन खराब रहा है उनको छोड़कर बाकी 20 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त मदद दी जाएगी।

किन राज्यों के बजट में होगी कटौती

बिहार के बजट में 155 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश के बजट में 86 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश के बजट में 9.56 करोड़ की कटौती की जाएगी। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के बजट में 9.69 करोड़ रुपये, उत्तराखण्ड के बजट में 23.36 करोड़ रुपये और गोवा के बजट में 56 लाख की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बजट में 60.35 करोड़ रुपये, मिजोरम के बजट में 3 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के बजट में 66 लाख रुपये जबकि दिल्ली के बजट में 7.48 करोड़ रुपये की कटौती की जाएगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नागालैण्ड, और सिक्किम को कोई मदद नहीं दी जाएगी।

किन राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

जिन राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है उन्हें केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त आर्थिक मदद यानी बोनस देने का फैसला किया है। इनमें उत्तरप्रदेश को 50.24 करोड़ रुपये, हरियाणा को 34.15 करोड़ रुपये, पंजाब को 22.59 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 8.23 करोड़ रुपये, मणिपुर को 5.08 करोड़ रुपये, असम को 129.42 करोड़ रुपये, पदुच्चेरी को 1.51 करोड़ रुपये, दमन एवं दीव को 88 लाख रुपये, चंडीगढ़ को 1.3 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 28.39 करोड़ रुपये, दादर एवं नगर हवेली को 2.68 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 63. 14 करोड़ रुपये, केरल को 22.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 41.74 करोड़ रुपये, गुजरात को 33. 15 करोड़ रुपये, और आंध्रप्रदेश को 40 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 21 करोड़ रुपये, ओडिशा को 20 करोड़ रुपये, झारखण्ड को 26 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 31 करोड़ का बोनस मिलेगा।

नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रणाली रिपोर्ट

पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा का बेहतर माहौल रहे और इस क्षेत्र में लगातार विकास होता रहे, इसके लिए केन्द्र सरकार सजग है। अलग अलग राज्यों में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीति आयोग ने जून में स्वास्थ्य प्रणाली रिपोर्ट, 2018-19 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड पूर्ण टीकाकरण के न्यूनतम मानदंडों को भी पूरा नहीं कर सके, इसलिए इन राज्यों की स्थिति पर विचार तक नहीं किया गया और उन्हें दण्ड के रूप में ऋणात्मक अंक दिए गए।

परफॉरमेंस ऑन हेल्थ आउटकम (Performance on Health Outcome) नाम से नीति आयोग द्वारा तैयार किये गए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कुल 36 राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में से, 20 राज्यों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति दिखाई है, जबकि 16 राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो दादर एवं नगर हवेली ने 14 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि हरियाणा को 13 और असम को 12 अंक, तथा केरल और पंजाब को 8-8 अंक मिले हैं। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में लक्षद्वीप को -12 अंक, बिहार को -12 अंक, उत्तराखण्ड को -8 अंक मध्यप्रदेश को-7 अंक तथा पश्चिम बंगाल को -7 अंक मिले हैं।

अंडमान-निकोबार और राजस्थान को शून्य अंक मिला है। इसका मतलब है कि इन दोनों राज्यों के बजट में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन इन्हें चेतावनी जारी की गयी है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों द्वारा लगातार सुधार करने और निगरानी की वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31 मार्च 2018 तक देश में 15 हजार स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (Health and wellness centre) को क्रियान्वित करने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्यों में पंजाब और केन्द्रशासित प्रदेशों में दमन एवं दीव ने स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र के परिचालन में सबसे ज्यादा अंक हासिल किया है। वहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों में ओडिशा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का शुभारंभ वर्ष 2013 में किया था, जिससे उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शहरी मिशन (एनयूएचएम) को सम्मिलित किया गया था। इसे मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए वर्ष 2018 में आगे बढ़ाया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु-बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) और संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है। एनएचएम का लक्ष्य न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करना है, जो कि लोगों की जरूरतों की प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो।

अलग-अलग राज्यों की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े आठ राज्यों में से चार राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि एक राज्य का प्रदर्शन सामान्य रहा और दो राज्यों पर दण्ड (Penalty) लगाया गया। तीन पहाड़ी राज्यों को शर्त पूरा न करने के कारण दण्ड मिला है। वहीं पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से चार राज्य मानदण्ड पूरा नहीं कर सके, बाकी में से असम, त्रिपुरा और मणिपुर ने प्रोत्साहन हासिल किया। चार केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहन (Incentive) और दो को दण्ड (Penalty) दिया गया है। अन्य 11 राज्यों में से 9 ने प्रोत्साहन अर्जित किया, जबकि दो राज्यों पर जुर्माना लगा।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार द्वारा 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 54,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मंत्रालय के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 97 प्रतिशत का आवंटन किया गया जो कि 52,800 करोड़ रुपये है। इसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 1800 करोड़ रुपय (3%) का आवंटन किया गया।

एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत भारत सरकार राष्ट्रीय द्वारा स्वास्थ्य योजना को लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों (गरीब और कमजोर तबके के परिवार) के लिए शुरू किया गया है ताकि उन्हें द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की जा सके (आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंग के रूप में)।

इसके अलावा व्यापक स्वास्थ्य देखभाल (गैर संचारी रोग, और मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं सहित) प्रदान करने के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र शुरू किये जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये केन्द्र मुफ्त में अनिवार्य दवाएँ और डायग्नॉस्टिक सेवाएँ प्रदान करेंगे (आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंग के रूप में)।

मौजूदा चुनौतियाँ

भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके अपेक्षाकृत परिणाम नहीं निकल पाये हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा में लगातार सुधार की कोशिशों के बावजूद कई राज्यों में कुपोषण से मौत के मामले में कोई कभी नहीं आयी है। देश में सालाना करीब 14 लाख बच्चों की मौत हो रही है जिसमें से 7 लाख से ज्यादा मौतें कुपोषण से ही हो रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, और राजस्थान की स्थिति ज्यादा गंभीर है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research-ICMR) की हाल ही में आयी रिपोर्ट में कुपोषण को लेकर राज्यों के हालात पर अध्ययन किया गया है। आइसीएमआर (ICMR) की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में पाँच वर्ष तक की आयु के ज्यादातर बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। साथ ही पाँच वर्ष से कम आयु में ही मरने वाले बच्चों में कुपोषण से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में है। जबकि सबसे कम केरल, मेघालय, तमिलनाडु, मिजोरम और गोवा में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के मुताबिक, बिहार में 48.3 बच्चे, उत्तर प्रदेश में 46.3 फीसदी बच्चे, झारखण्ड में 45.3 फीसदी बच्चे, मेघालय में 43.8 फीसदी और मध्यप्रदेश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं, जबकि भारत का औसत आँकड़ा 35.7 फीसदी का है।

इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि 39 फीसदी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कम है। इसमें से सबसे ज्यादा 49 फीसदी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तरप्रदेश में प्रति एक लाख में 60 हजार बच्चों का जीवन गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, बिहार, और असम भी इसी गंभीर श्रेणी में शामिल हैं। आइसीएमआर के अनुसार देश में 33 फीसदी बच्चे कम वजन से पीड़ित हैं। झारखण्ड में 42 फीसदी बच्चे कम वजन के मिल रहे हैं। आइसीएमआर के मुताबिक कुपोषण के साथ-साथ एनीमिया की समस्या भी लगभग सभी राज्यों में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मध्यप्रदेश में बच्चों में मोटापा बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है।

गौरतलब है कि देश में एनीमिया के शिकार बच्चे करीब 60 फीसदी हैं। वहीं 54 फीसदी महिलाएँ एनीमिया की शिकार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की महिलाओं में सबसे ज्यादा एनीमिया की समस्या पायी जाती है।

बच्चों को लेकर एक और समस्या सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे प्री-डायबिटिक (Pre-diabitic) पाये जा रहे हैं। भारत में 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच करीब 9 फीसदी किशोर प्री-डायबिटिक हैं।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि भारत के सामने संचारी रोगों को नियंत्रित करने की चुनौती कायम है। यह चुनौती विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है, चूंकि अमीर राज्यों में गैर संचारी रोगों (जैसे हाइपर टेंशन और डायबिटीज) के मामले बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर विकसित राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम देखने को मिले हैं। हालांकि ये राज्य अन्य प्रकार के स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। इससे गैर संचारी रोगों से निपटने का अतिरिक्त वित्तीय दबाव बन रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की भिन्न-भिन्न लागत ने राज्यों के बीच और उनके भीतर स्वास्थ्य संबंधी विषमताओं को बढ़ाया है।

अन्य चुनौतियाँ

14 वें वित्त आयोग के सुझावों के बाद 2015-16 में करों के केंद्रीय पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% हो गई। इससे भारत सरकार द्वारा उम्मीद की गई कि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गंभीर प्रयास किये जाएंगे, किंतु राज्यों

द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के हिस्से को कम करने के लिए कुछ योजनाओं का फंड शेयरिंग पैटर्न बदल दिया गया। ऐसा राज्यों को अधिक स्वायत्तता और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की वरीयता देने के लिए किया गया, फिर भी राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बजट को नहीं बढ़ाया। गौर करने की बात है कि स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों व्यय अधिक विकसित राज्यों में ही बढ़ा है जबकि पिछड़े राज्य इस मामले में और पिछड़ते जा रहे हैं।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार के प्रयास सराहनीय हैं किन्तु विभिन्न राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गए प्रयास नाकाफी हैं। अब वक्त आ गया है कि राज्यों को अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य रैंकिंग प्रणाली में भविष्य में उनकी स्थिति में सुधार आये।

नीति आयोग का सुझाव था कि राज्य अपने यहाँ मातृत्व मृत्यु दर को कम करें, साथ ही वे टीकाकरण पर भी विशेष जोर दें। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल आदि किस स्थिति में हैं, या उनकी उत्पादकता क्या है, इस संबंध में भी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ, गैर-संक्रामक रोगों (NCD) के इलाज में भी बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। नीति आयोग द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख बिन्दु जैसे- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रैंकिंग, रोगों से लड़ने की प्रणाली, मानव संसाधन प्रणाली की सुदृढ़ता, स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र और जिला अस्पतालों की स्थिति के आधार पर राज्यों को स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का आकलन करने को कहा था, जिसे राज्यों द्वारा शीघ्र अपनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एनएचएम के अंतर्गत धन जारी करने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि धन को बेहतर तरीके से हस्तांतरित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. भारत और चीन : द्वितीय अनौपचारिक वार्ता बैठक, 2019

चर्चा का कारण

हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की है। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अनौपचारिक वार्ता हेतु भारत आये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच वार्ता लगभग 1400 वर्ष पूर्व स्थापित ऐतिहासिक शहर मामल्लपुरम् (महाबलीपुरम्) में दो दिनों तक हुई। इस वार्ता में लिये गये फैसलों को 'चेन्नई कनेक्ट' (Chennai Connect) नाम दिया गया है। चेन्नई कनेक्ट को चेन्नई समिट और 'वुहान 2.0' के नामों से भी पुकारा जा रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल, 2018 में भारत और चीन के बीच पहली अनौपचारिक वार्ता वुहान शहर (चीन) में हुई थी, जिसे वुहान स्पिरिट कहा जाता है। उसके बाद मामल्लपुरम् में भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक वार्ता हुई है।

परिचय

भारत-चीन संबंध हजारों साल पुराने हैं, दोनों ही देशों का जुड़ाव प्राचीन सभ्यता से है। भारत और चीन, लगभग 3400 किमी की सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगभग 70 वर्ष पुराना है। सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच समय-समय पर गंभीर तनाव देखने को मिलता है।

सन् 2014 में भारत और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद उत्पन्न हो गये, मतभेद 2017 तक आते-आते काफी बढ़ गये और डोकलाम विवाद के रूप में सामने आये। डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएँ लगभग 70 दिनों तक आमने-सामने रहीं। संबंधों में इतनी तल्खी उत्पन्न हुई कि युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। लेकिन दोनों देशों ने स्थिति का आकलन (Assess) किया और पाया कि भारत व चीन के बीच गतिरोध होना, दोनों के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

चेन्नई कनेक्ट

मामल्लपुरम् में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच हुई अनौपचारिक वार्ता से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलकर आये-

- चेन्नई कनेक्ट में सीमा पर मतभेदों (Differencess) को संघर्षों (Conflicts) में न बदलने हेतु जोर दिया गया है। इसके लिए सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (Special Representative on Boundary Issue) की नियुक्ति की बात की गयी है। दरअसल 1990 के बाद चीन जब वैश्विक शक्ति बनकर उभरा तो उसने जानबूझकर सीमा विवाद में अपने पड़ोसियों को उलझाकर रखने की रणनीति अपनायी, लेकिन इसका खामियाजा यह हुआ कि भारत जैसे देशों का अमेरिका की ओर झुकाव बढ़ गया जो चीन के हितों के लिए अच्छा नहीं है। अत: चीन अब इस स्थिति से निकलना चाहता है जिसकी झलक चेन्नई कनेक्ट में देखने को मिलती है।
- चन्नेई कनेक्ट में इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों के वित्तीय मंत्रियों के बीच 'उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापार संवाद तंत्र' (High Level Economic and Trade Dialogue Mechanism) स्थापित किया जायेगा, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों (Sectors) में सहमति बनी है उनमें आपसी निवेश (Mutual Investment) को बढ़ाया जाने का भी कार्य यह तंत्र करेगा। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा का मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील है जिस पर इस तंत्र का विशेष ध्यान होगा।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तंत्र (मैकेनिज्म) अच्छे ढंग से काम किया और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा तो दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ- साथ अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर भी सहमति बनेगी। इसमें आरसीईपी (Regional Comprehensive Economic Partnership) का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे बहुपक्षीय मुद्दे शामिल हैं, जिनमें भारत-चीन के आपसी सहयोग की भरपूर गुंजाइश है।
- अनौपचारिक वर्ताओं की नियमितता जारी रखी जायेगी। यही कारण है कि तीसरी अनौपचारिक वार्ता का न्यौता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग देकर गये हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सहज स्वीकार कर लिया है।

वुहान स्पिरिट (Wuhan Spirit)

डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के प्रमुख अप्रैल, 2018 में अनौपचारिक वार्ता हेतु आर्थिक महत्त्व रखने वाले चीनी शहर वुहान में मिले। इस वार्ता को वुहान स्पिरिट या वुहान समिट कहा जाता है। वुहान स्पिरिट में दोनों देशों के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी थी-

- किसी भी तरह की गलतफहमी (Misunderstanding) से बचने और संबंधों में मिठास बनाये रखने हेतु उच्च स्तर पर रणनीतिक संवाद (Strategic Communication) होते रहना चाहिए।
- भारत और चीन, दोनों ही बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं तथा वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, इस वास्तविकता को दोनों देशों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक व्यवस्था (Global Order) और वैश्विक राजनीति में स्थायित्व हेतु चीन और भारत के बीच शांति होना जरूरी है।
- भारत और चीन, दोनों देश एक-दूसरे की चिंताओं (Concerns), आकांक्षाओं (Aspirations) और संवेदनाओं (Sensations) का ख्याल रखेंगे।
- दोनों देशों के उच्च नेतृत्व अपनी-अपनी सेनाओं को इस प्रकार निर्देशित करेंगे जिससे कि सीमा पर शांति बनी रहे।
- वुहान जैसी अनौपचारिक वार्ताओं का आयोजन नियमित तौर पर होना चाहिए।

वुहान के बाद की स्थिति

वुहान वार्ता को सम्पन्न हुए एक साल से भी अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जिन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, उनमें किस प्रकार की प्रगति हुई है? इस प्रगति को समझने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है-

- वुहान समिट में सहमति बनी थी कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की वार्ता द्वारा आपसी मतभेदों को सुलझा लिया जायेगा, किन्तु एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप), सीपेक (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) आदि मुद्दों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। यहाँ तक कि डोकलाम (इस विवाद की पृष्ठभूमि पर वुहान वार्ता हुई थी) में भी समय-समय पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने यहाँ स्थायी संरचना (Permanent Structure) का निर्माण कर लिया है।
- भारत-चीन के बीच उच्च स्तर पर नियमित रूप से रणनीतिक संवाद भी नहीं हो पा रहा है ताकि संबंधों में गतिशीलता आ सके।
- वुहान स्पिरिट में भारत और चीन के बीच यह तय हुआ था कि दोनों तीसरी दुनिया के देशों (यथा-अफगानिस्तान आदि) में कोई परियोजना स्थापित करने एवं शांति हेतु साथ मिलकर कार्य करेंगे। किन्तु इस दिशा में प्रगति होने के विपरीत चीन व पाकिस्तान मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि भारत की भूमिका को किसी भी तरह अफगानिस्तान में बढ़ने न दिया जाये।
- वुहान में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि चीन, भारत के लिए अपने बाजार को और खोलेगा ताकि भारतीय वस्तुएँ भी चीन में बिक सकें और दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन स्थापित हो सके लेकिन इस दिशा में भी अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि चीन ने अपने बाजार को भारतीय वस्तुओं के लिए आधे-अधूरे मन से खोला है, जिसका दुष्परिणाम भारत को व्यापार घाटा के रूप में उठाना पड़ रहा है। (अनुमान है कि चीन के साथ व्यापार में भारत को लगभग 50 बिलियन डॉलर का प्रतिवर्ष व्यापार घाटा सहन करना पड़ता है।)
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कई मुद्दों और विभिन्न मंचों पर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत और चीन में वुहान के बाद समन्वयन (Coordination) देखने को मिला है। लेकिन दोनों देशों के बीच आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली है, यह स्थिति पाकिस्तान के संदर्भ में और भी जटिल हो गयी है। हालाँकि पुलवामा हमले के बाद बने वैश्विक दबाव के चलते चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लिए वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इसके पहले चीन लगातार इस आतंकी को बचाने हेतु वीटो शक्ति का प्रयोग करता आया था।
- हालाँकि उपर्यक्त तथ्यों के इतर कुछ विशेषज्ञों की राय है कि वुहान में दोनों देशों ने वास्तविक हकीकतों के अनुरूप विदेश नीति को अपनाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सामान्य स्थिति बहाल हुई और आपस में विश्वास पनपा। इसी का परिणाम है कि दोनों देशों के बीच फिर से मामल्लपुरम् में दूसरी अनौपचारिक वार्ता आयोजित हुई।

भारत व चीन के बीच गतिरोध के मुद्दे

वर्तमान में भारत और चीन के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर गतिरोध या विवाद है, यथा-

- दोनों देश एक विशाल सीमा साझा करते हैं, जिसके कई हिस्सों में विवाद है। चीन, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना दावा (Claim) करता है तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा (Stapled Visa) जारी करता है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत द्वारा किये जाने वाले सैन्य अभ्यासों (Military Exercises) को चीन शक की निगाहों से देखता है और कभी-कभी अपनी चिंताएँ भी प्रकट करता है।
- भारत ने हाल ही में (सितम्बर, 2019) पूर्वी लद्दाख के चुशुल क्षेत्र (Chusul Region) में चांगथांग प्रहार (Changthang Prahar) नामक ऑल-आर्म्स इंटीग्रेटेड (All-Arms Integrated) सैन्य अभ्यास को आयोजित किया था। इसमें गन, एयरक्रॉफ्ट, डोन, टैंक आदि सभी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी समय अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में सेना के एयरक्रॉफ्ट हेतु 'एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड' (Advanced Landing Ground) को भी खोला गया। उपर्युक्त दोनों ही कार्रवाई शी जिनपिंग की मामल्लपुरम् की यात्रा के कुछ दिन पहले की गयी ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि चीन ने इन दोनों कार्रवाईयों पर अपनी चिंताएँ जाहिर की थीं।
- तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चीन इन्हें तिब्बत में विद्रोह को भड़काने वाले के रूप में देखता है और भारत से कहता है कि वह तिब्बती विद्रोहियों व दलाई लामा को शरण न दे। चीन मानता है कि भारत दलाई लामा को समर्थन देता है, हालाँकि भारत का कहना है कि वह दलाई लामा को एक शरणार्थी के तौर पर शरण दिये है न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य हेतु।
- भारत का कहना है की चीन के महत्त्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव' (बीआरआई) में पारदर्शिता का अभाव है,

जिसके कारण हमारे पड़ोसी देश चीन के ऋण जाल (Debt Trap) में धीरे-धीरे फँसते जा रहे हैं। बाद में इन देशों का उपयोग चीन अपने फायदे व भारत के हितों के विपरीत कर सकता है। हाल ही में बेलारूस में आयोजित हुए 'मिस्क डायलॉग फोरम' में बीआरआई के प्रति चिंता जताते हुए यूरोपीय संघ और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने भी कहा कि बीआरआई में पर्यावरण, श्रम (लेबर) और अन्य वैश्विक मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है, जो चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि इस डायलॉग फोरम में चीन ने भी भाग लिया था।

- चीन द्वारा निर्मित सीपेक (CPEC) भारत के अभिन्न हिस्से पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुत्ता का हनन मानता है।
- हिन्द महासागर में स्थित भारत के आस-पास के देशों में चीन बंदरगाहों का निर्माण कर मोतियों की माला (String of Pearl) बना रहा है, इमसें प्रमुख बंदरगाह हैं- पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का सिटवे (Sittwe) इत्यादि। समय आने पर चीन इन बंदरगाहों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एवं सैन्य उपयोग हेतु भी कर सकता है।
- न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में (एनएसजी) भारत की सदस्यता के संबंध में चीन अड़ंगे डाल रहा है ताकि भारत को अपने ऊर्जा विकास हेतु नाभिकीय ईंधन व तकनीक न हासिल हो सके।
- क्वाडिलेटेरल सुरक्षा संवाद (क्वाड, Quad), हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व विकास हेतु भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच प्रगतिशील रणनीतिक ग्रुपिंग (Grouping) है। चीन का कहना है कि ये देश एकसाथ मिलकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चीन, भारत और अमेरिका की हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को भी शक की नजरों से देखता है, जबकि चीन, अमेरिका को प्रतिस्थापित करके खुद सुपरपॉवर बनाना चाहता है और उम्मीद करता है कि एशिया में उसी की प्रभुता स्थापित हो। यही कारण है कि वह दक्षिण चीन सागर में उसके आस-पास के देशों की संप्रभुत्ता का हनन करते हुए कंक्रीट के कृत्रिम द्वीप बना रहा है और पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार की आक्रामक गतिविधियाँ वह हिन्द महासागर में अपनाता है, जिसको लेकर भारत समेत अन्य देश चिंतित हैं।
- चीन दावा करता है कि भारत के पड़ोसी नेपाल व भूटान जैसे देश उससे संबंधों को मजबूत करने हेतु इच्छुक हैं किन्तु भारत उन पर ऐसा न करने का दबाव डालता है। उल्लेखनीय है कि चीन व भूटान के बीच वर्तमान में किसी प्रकार के संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, सन् 2013-14 में चीन ने अपनी विदेश नीति में कहा कि वह अपने पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करेगा, इसी क्रम में वह भारत के पड़ोसी देशों (यथा- नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि) से भी संबंध मजबूत कर रहा है क्योंकि ये देश चीन के भी पड़ोसी हैं, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। लेकिन भारत इससे असहज महसूस करता है।
- भारत व चीन के बीच नदी जल विवाद भी है। ब्रह्मपुत्र नदी (जिसे चीन में सांगपो कहा जाता है) पर चीन ने बड़े-बड़े बाँध बनाये हैं और खबर है कि इस पानी को वह चीन के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ रहा है। इससे भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में पानी की कमी हो गयी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जल बहाव क्षेत्र सिकुड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध आदि की स्थिति में चीन इन बाँधों के पानी को छोड़कर उत्तर-पूर्वी भारत में बाढ़ ला सकता है।
- भारत-चीन के संबंधों में हाल ही में नया चरण तब आया जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। चीन ने भारत के इस कदम का विरोध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और आम सभा (General Assembley), दोनों जगह किया।
- शी जिनपिंग के मामल्लपुरम आने के ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गये और वहाँ उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। चीन और पाकिस्तान, दोनों ने आक्रामक वक्तत्व (Agreessive Statement) दिये। चीन ने कहा कि उसकी नजर कश्मीर समस्या पर लगातार बनी हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के चार्टर के अनुरूप इस समस्या का निपटारा होना चाहिए। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कश्मीर समस्या उसका आंतरिक मामला है, किसी अन्य देश को इसमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
- विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का यह कहना कि कश्मीर समस्या का हल यूएनओ के चार्टर के अनुरूप हो, सरासर गलत है क्योंकि उसने खुद इसका (यूएनओ के चार्टर का) पालन नहीं किया है। 1965 में चीन-पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शक्सगाम की घाटी (Shaksgam valley) का क्षेत्र चीन को सौंपा था और कहा था कि जब कश्मीर समस्या का हल हो जायेगी तो इस समझौते की पुनर्समीक्षा संबंधित पक्ष से चीन फिर से करेगा जो कि यूएनओ के चार्टर के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, अक्साई चिन पर चीनी कब्जा भी यूएनओ के चार्टर के विपरीत है। आज जम्मू-कश्मीर की जनांकिकीय संरचना (Demographic Structure) पाकिस्तान एवं चीन के द्वारा पूरी तरह बदल दी गयी है, अतः यूएनओ के चार्टर की चीन को बात नहीं करनी चाहिए।

भारत-चीन के बीच सहयोग

भारत और चीन के बीच ऊपर वर्णित किये गये विवादों के अलावा कई ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों देश एकसाथ मिलकर चल सकते हैं, यथा-

- संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने मसूद अजहर के मामले में वीटो नहीं किया था, जिससे संकेत मिलता है कि भारत और चीन आतंकवाद के मुद्दे पर एकसाथ आ सकते हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन की आर्थिक गतिविधियों पर समय-समय पर हमला बोला करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध आदि ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को क्षीण किया है। ऐसे में उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता है।
- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की यात्रा पर गये थे और उन्होंने रूस के पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region) के विकास हेतु 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (Line of Credit) प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, ईस्ट एशिया क्षेत्र में और भी नयी-नयी मैत्री (Alliance) बनकर उभरी हैं, जैसे इस क्षेत्र में भारत, रूस और जापान का नया त्रिकोणीय सहयोग का संबंध उभरा है। इस सबसे ईस्ट एशिया क्षेत्र में चीन और रूस के बीच मैत्री कमजोर पड़ी है। अतः ऐसे में भी चीन का झुकाव भारत की ओर होगा।
- चीन की ग्रोथ रेट लगातार गिर रही है और उसकी अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले

कमजोर हुई है। इसके अतिरिक्त तिब्बत में अशांति, जिनजियांग क्षेत्र में कट्टरपंथी अतिवाद (Redical Extremism), हांगकांग में लोकतंत्र हेतु प्रदर्शन आदि ने चीन को कमजोर करने में भूमिका निभायी है और उस पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, रूस की यात्रा पर गये थे तो अमेरिका के दबाव के बावजूद, उन्होंने रूस से हथियार खरीद को आगे बढ़ाया। इससे भारत और रूस के संबंधों में एक बार फिर से उछाल आया है (जो पिछले कुछ सालों में मंद पड़ चुका था) । भारत ने रूस और अमेरिका दोनों से संबंध ों में एक बेहतर संतुलन बनाया है। इसके अतिरिक्त, भारत के जापान और फ्राँस से भी संबंध मजबूत हुए हैं। (हाल ही में जी 7 देशों की बैठक में फ्राँस ने भारत को भी न्यौता दिया था, जिसमें भारत गया भी था)। इससे भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति मजबूत हुई है, अतः चीन भी भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने हेतु प्रयासरत है।
- वैश्विक व्यवस्था धीरे-धीरे बदल रही है। 2008 की द्वितीय वैश्विक मंदी के बाद जहाँ एक तरफ पश्चिमी देश कमजोर हुए हैं तो वहीं एशियाई देश अधिक मजबूती के साथ उभरे हैं। पहले पश्चिमी देश वैश्विक मामलों को शक्ल प्रदान करते थे, वे इस कार्य को आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाओं में प्रभाव जमाकर करते थे। लेकिन अब भारत व चीन जैसी उभरती शक्तियाँ भी विश्व व्यवस्था में जरूरी फेरबदल कर रही हैं। आईएमएफ के मुकाबले में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) खड़ी की गयी है। इसके अतिरिक्त, इन उभरती विकासशील शक्तियों को ब्रिक्स (BRICS) की न्यू डवलपमेंट बैंक (ADB) ने भी नयी दिशा प्रदान की है।
- वैश्वीकरण में अनिश्चितता का दौर व्याप्त हैं, इसे शुरू करने वाले पश्चिमी देश अब इससे धीरे-धीरे नाता तोड़ रहे हैं जबकि 1990 के पहले विश्व दो ध्रुवों में बाँटा था किन्तु सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व, अमेरिका की एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत चला गया। किन्तु अब वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है, यथा-भारत, चीन, जापान आदि। भारत और चीन जैसे देशों ने बहुध्रुवीयता की हमेशा से पैरोकारी की है।

आगे की राह

भारत और चीन के बीच कई क्षेत्रों (यथा-सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक आदि) में आपसी सहयोग के साथ बढ़ने की पूरी संभावनाएँ हैं, जिनका दोनों देशों द्वारा बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को व्यापार घाटे को संतुलित करते हुए लगातार बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि आर्थिक निर्भरता ऐसा पहलू है जो ध ीरे-धीरे अन्य विवादों को गौण कर देगा। हालाँकि कालक्रम में आपसी विवादों को हल करने हेतु प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। दोनों देशों को इस बात पर बल देना चाहिए कि एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर (Security Architecture) समावेशी प्रकृति का बन सके, जिसमें हर देश की भागीदारी हो और कोई भी अपने आप को किसी भी पक्ष से असुरक्षित महसूस न करे। इसके अलावा, आगे होने वाली अनौपचारिक वार्ताओं में इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वार्ता में लक्ष्य तय किये जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने के तरीके का भी ब्लू प्रिंट या मसौदा तैयार किया जाये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. नोबेल पुरस्कार-2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में स्वीडन की संस्था ने विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषण ाा की। विदित हो कि नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति व अर्थशास्त्र, के क्षेत्र में दिये जाते हैं।

परिचय

नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ई० में डायनामाइट का अविष्कार किया था। वे विज्ञान की शक्ति को बखूबी समझते थे। साथ ही विकास के लिये निरंतर नए अनुसंधान की जरुरत को भी महसूस करते थे। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया तथा उनकी मृत्यु के बाद नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया। इस फाउंडेशन के प्रावधानों के अनुसार चार अलग-अलग संस्थाएँ नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। इनमें हैं- रॉयल स्वीडिश एकेडमी आफ साइसेंस, द स्वीडिश एकेडमी, द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट एवं द नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है एवं नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत गठित समितियाँ ही इस पुरस्कार को देने के विषय पर विचार करती हैं।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में कोशिकाओं पर शोध करने वाले तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन वैज्ञानिकों के नाम हैं- अमेरिका के विलियम केलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर जे रैटक्लिफ। इन तीन वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता समझने और उसके अनुकूल बनने की कोशिकाओं की क्षमता तलाशी। इससे कैंसर के इलाज के लिए नए तरीके ढूंढने में मदद मिलेगी।

यह शोध इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे कोशिकाओं की मशीनरी, कोशिकाओं के जीवन के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, इनकी कमी से शरीर के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, इस बारे में जानकारी इकट्ठा किये जाने में आसानी होगी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन स्तर के बढ़ने एवं घटने से कोशिकाओं के उपाचय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका अध्ययन भी आसान हो जाएगा।

जैसा कि वर्तमान में हम कोशिका के बारे में जो कुछ जानते हैं वह, यह है कि हमारे द्वारा श्वसन लेने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ली जाती है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कुछ विशेष कोशिकाए मस्तिष्क को रक्त पहुँचाने में सहायक होती हैं। जब भी कभी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो रक्त कोशिकाओं का स्तर गिरने लगता है। पिछली शताब्दी के आरंभिक दशकों में हम यह जान चुके थे कि विशेष कोशिकाए गुर्दे में भी होती हैं और वे इरिथ्रोपोटीन को छोड़ने में सहायक होती हैं। जब इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्तर कम या अधिक होता है तो

इनका असर अस्थिमज्जा (Bonemarrow) पर भी पड़ता है।

कई वर्षों की शोध के बाद प्रोफेसर सेमेंजा और सर रैटक्लिफ ने यह पाया कि इरिथ्रोप्रोटीन ऑक्सीजन के स्तर को विनियमित करने में कितना महत्वपूर्ण है लेकिन इसके अलावा इन वैज्ञानिकों ने हाइपोक्सिया-इंडियूसियल फैक्टर (HIF) नामक प्रोटीन की खोज की जिनके निर्माण से कोशिकाए स्वयं को आक्सीजन के बढ़ते-घटते स्तर के अनुकूल बनाती हैं। यह कई जीनों की गतिविधियों में बदलाव करके कोशिकाओं की ऑक्सीजन-खपत को रोकता है। यह प्रोटीन प्रतिरक्षा, मस्तिष्क एवं कैंसर सहित कई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिये जाना जाता है।

एचआइएफ प्रोटीन ट्यूमर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ शोध में यह भी पता चला है कि कैंसर कोशिकाओं में एचआइएफ की बढ़ोत्तरी कीमोथेरेपी में दी जाने वाली दवा के खिलाफ प्रतिरोधक का कार्य करती है। यह खोज एनीमिया, कैंसर और अन्य कई रोगों से लड़ने के लिये बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगी।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडिएरक्वेलोज को दिया गया। जेम्स पीबल्स को यह पुरस्कार ब्रह्माण्ड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिये दिया गया। वहीं मिशेल मेयर और डिडिएरक्वेलोज को 'एक सौर-प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लेनेट की खोज के लिये संयुक्त रूप से दिया गया।

1960 के दशक में पीबल्स महोदय ने कास्मिक माइक्रोवेब बैकग्राउंड पर शोध शुरु किया था। इसके लिये इस बात का पता लगाना जरूरी था कि बिग बैंग के बाद ब्रह्माण्ड को किसने आकार दिया। 1965 के शोध पत्र में पीबल्स ने बताया कि आकाशगंगा के गठन के लिये डार्क मैटर आवश्यक है।

वहीं मेयर और क्वेलोज वैज्ञानिक को पेगासी B नामक एक ग्रह की खोज करने के लिये सम्मानित किया गया। गैस से बना यह ग्रह सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह वृहस्पति जितना विशाल है। इस खोज ने खगोल विज्ञान में एक क्रांति ला दी है। नासा के अनुसार अभी तक लगभग 40,73 ग्रहों की खोज की जा चुकी है।

रसायन विज्ञान में नोबेल

रसायन विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार जान. बी गुडनफ, एम स्टैनली व्हीटिंगम और अकीरो योशिनों को प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार लीथियम बैटरी के विकास के लिये दिया गया। ये बैटरियाँ बेतार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगीं जिससे पोर्टेबल काम्पैक्ट डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल बनाना संभव हो सकेगा।

1960 के दशक में पेट्रोल से चलने वाली कार अधिक से अधिक चलती थी। जैसा भी हो ये जीवाश्मयुक्त ईंधन पर्यावरण को काफी हानि पहुँचा रहे थे। इसके अलावा कोयला दहन शहरों में स्मॉग की समस्या को भी बढ़ा रहे थे। इसके निराकरण के लिए बैटरियों का प्रचलन किया जाना शुरू किया गया। 19वीं शताब्दी के पूवार्द्ध में रासायनिक बैटरियाँ भी आई, परंतु उनको चार्ज करने के लिये विद्युत के निश्चित आपूर्ति की जरूरत होती थी।

उसी प्रकार लेड एसिड बैटरी का प्रयोग कार चालू करने में और उसकी हेडलाइट को पावर देने के लिये ज्यादातर प्रयोग में आती थी, परंतु यह अपने आप में काफी भारी भरकम थी। इन कारणों से ही यह जरूरत महसूस हुई कि जीवाश्म ईंधन का विकल्प ले आना चाहिए।

विहिंटगम द्वारा ऐसे ठोस पदार्थों पर शोध किया जा रहा था जिनके अणु आपस में स्थानान्तरित हो सकें ताकी आयन को चार्ज करने में आसानी हो अर्थात इनके बीच अंतर्संबंधित परिवर्तन संभव हो सके। इसी खोज में उन्होंने पाया कि पोटैशियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको टाइटेनियम के साथ अंतर्संबंधित परिवर्तन कर अत्यधिक ऊर्जा धनत्व वाला पदार्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने इसमें यह देखा कि इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन नकारात्मक इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होकर सकारात्मक कैथोड की ओर प्रवाहित हो रहे हैं जिससे यह तय हो गया कि यह पदार्थ एक आदर्श बैटरी के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस बैटरी के व्यावसायिक प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिये गुडनफ और योशिनों दोनों वैज्ञानिकों की सम्मिलित खोज का बड़ा योगदान रहा।

गुडनफ ने बैटरी की क्षमता को बढ़ाने की खोज में यह पाया कि यदि कैथोड को बनाने के लिय धातु ऑक्साइड का प्रयोग मेटल सल्फाइड के स्थान पर करते हैं तो इसकी क्षमता में और भी बढ़ोत्तरी होगी।

पूर्व शोध में यह देखा गया था कि लीथियम आयन के ग्रॉफिक को आण्विक परतों में विभाजित किया जा सकता है। परंतु यह बैटरियों में प्रयोग होने पर टूट रहा है। अत: योशिनों ने पेट्रोलियम कोक सामग्री के भीतर लीथियम आयन को रखा जिससे यह पहले से अधिक सुरक्षित हो गई।

इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लिथियम आयन लगभग सीसा एसिड से 10 गुना और निकेल कैडमियम से 5 गुना अधिक ऊर्जा संग्रहित करता है। यह बैटरी बहुत हल्की है जिसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। वास्तव में यह खोज एक जापानी कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रेरित है।

यह खोज इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय हम अपने अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं तब उस समय यह बैटरी सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल होगी।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2018 के लिये पोलिश लेखिका ओल्गा टोकार्कुजुक एवं वर्ष 2019 के लिये ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैडके को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया।

ओल्गा का जन्म 1962 में पोलैण्ड में हुआ उन्होंने 1993 में पहला उपन्यास 'द जर्नी ऑफ द बुक पीपुल' लिखा। उन्होंने वर्ष 2014 में अपने ऐतिहासिक उपन्यास 'द बुक आफ जैकब' को प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय समझ से परे विषयों को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। ओल्गा के अन्य उपन्यास 'प्रीमेवल एंड अदर टाइम्स' को भी प्रकाशित किया गया। ओल्गा टोकार्कजुक को 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनके अनुवादित संस्करण-'बार्डर क्रासिंग, फ्लाइटस' के लिये दिया गया।

ओल्गा टोकार्कजुक को लेखन कला में उनके व्यापक समझ जो कि 'विश्व को जीवन परिधियों से बाहर सोचने के लिये प्रेरित करते हैं', के लिये दिया गया।

पीटर हैडके को उनके लेखन में भाषाई सरलता के साथ मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाने के लिये दिया गया। पीटर हैडके एक आस्ट्रियन उपन्यासकार हैं साथ ही वे अनुवादक, कवि, फिल्म निर्देशक, एवं नाट्य कथाकार भी हैं। पीटर हैडके काफी विवादास्पद मुद्दों के कारण भी चर्चा में रहे हैं।

शांति में नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2019 का शांति के लिये नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार इरीट्रिया के साथ सीमा संघर्ष सुलझाने के लिये दिया गया। अबी अहमद

पूर्व में इथोपियाई सेना में तैनात थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत ओरोमी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के रूप में की। ओडीपी 1991 से अरोमिया क्षेत्र में सत्तारूढ़ पार्टी थी। इथोपिया में सत्तारूढ़ गठबंधन दलों में से एक इथोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है। वे वर्ष 2010 में हाउस आफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का एक निर्वाचित सदस्य बने, जो इथोपियाई संघीय संसद की विधानसभा का निचला कक्ष है। इथोपिया के नियंत्रित क्षेत्र में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई टकराव हुए। अबी ने इस दौरान एक 'धार्मिक फोरम फॉर पीस' बनाया। यह मंच वास्तव में मुस्लिम व ईसाइयों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। अबी 2011 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र के महानिदेशक भी बने।

वर्ष 2015 की शुरूआत में अबी अरोमिया और अदीस अबाबा क्षेत्र के आस-पास की जमीन हथियाने के अवैध काम के खिलाफ खड़े हुए। बाद में अबी अहमद ने अरोमिया क्षेत्र के डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में काम किया।

अपने राजनैतिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन के कारण ही 2 अप्रैल 2018 को अबी इथोपिया की संसद द्वारा इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप शपथ ग्रहण की। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने इथोपिया की एकता और इथोपिया के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिय; इरीट्रिया-इथोपिया युद्ध के बाद चल रहे सीमा संघर्ष का हल निकालने के लिय प्रयास करने का वादा किया।

अबी ने 2018 में संसद के समक्ष घोषणा की, कि वे जातीय संघवाद की समीक्षा कर एक आयोग की स्थापना करेंगे जिससे स्थानीय विवादों से निपटा जा सके। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर उदारवादी नीति अपनाई जा रही है जिससे इथोपिया में सामाजिक और आर्थिक सुधार तेजी से हो रहा है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनमें अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर शामिल हैं। यह पुरस्कार उनके शोध 'वैश्विक स्तर पर गरीबी से निपटने के लिये' दिया गया।

अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं। उनकी शिक्षा युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। अभिजीत बनर्जी और डुफ्लो की किताब 'पुअर इकोनॉमिक्स: ए रेडिकल रीथिकिंग आफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी' को 2011 में फाइनेंशियल टाइम्स एण्ड गोल्डमैन सैक्श बिजनेस बुक ऑफ द इयर पुरस्कार मिल चुका है। अभिजीत की अन्य पुस्तकों में 'वोलटिलिटी एण्ड ग्रोथ' भी है।

अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसके पूर्व भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया था। अभी तक 10 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर, वीएस नायपाल, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविन्द खुराना, सी.वी रमन, वेंकट रामकृष्णन मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आर के पचौरी आदि शामिल हैं।

कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से एक नई योजना 'न्याय' पेश की गई थी। इस योजना का परामर्श अभिजीत बनर्जी ने ही दिया था। इस योजना के तहत कांग्रेस ने गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने की बात की थी तथा प्रत्येक गरीब परिवार की मासिक आय 12000 रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था।

आगे की राह

नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि शोध की महत्ता को बतलाता है। इन शोधों के विकास के साथ ही साथ समय-समय पर इनका प्रयोग भी मानव हित में किया जाता रहा है जिनके कारण विज्ञान नई-नई ऊँचाइयों को छू रहा है तो वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये प्रयोग किये जा रहे इन शोध सिद्धांतों का बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि नोबेल पुरस्कार आवंटन करने वाली प्रशासनिक इकाई में सुधार किया जाए, साथ ही वे कहते हैं कि गणित के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिये जाने की परंपरा शुरू की जाए। हालांकि भविष्य के लिए नोबेल फाउंडेशन में सुधारों के साथ ही साथ इन पुरस्कारों को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

■

7. शून्य बजट प्राकृतिक खेती : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में ग्रेटर नोएडा में सम्पन्न हुई 'यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन टू काम्बैट डेजर्टीफिकेशन' (UNCCD) की सीओपी (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण करते हुए किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके। हालांकि बाद में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान (NAAS) ने 'जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' (या शून्य बजट प्राकृतिक खेती) के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एनएएएस का कहना है कि जब तक 'जेडबीएनएफ' का उचित वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो जाता है तब तक इसे रोक देना चाहिए।

परिचय

19वीं शताब्दी में वॉन लॉइबिग (Von Liebig) और फ्रेड्रिक वोहलर (Friedrich Wohler) ने कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) में उल्लेखनीय कार्य किया, जिसकी वजह से रासायनिक उर्वरकों के विनिर्माण में तेजी आयी। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने फसल की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया।

भारत में जब 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में हरित क्रांति की शुरूआत हुई तो यहाँ भी कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग काफी अधिक बढ़ गया। कालान्तर में जब इन उर्वरकों का उपयोग और बढ़ा तो इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे, यथा-मृदा की उर्वरता में कमी, खाद्य शृंखला में विषाक्त तत्त्वों का प्रवेश व संग्रहण, जैवविविधता पर नकारात्मक असर, कृषि लागत में वृद्धि इत्यादि।

कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले उपर्युक्त दुष्प्रभावों के चलते वैज्ञानिकों ने खेती करने के कई अन्य विकल्प

सुझाये, ताकि कृषि में रासायनिक उर्वरकों को या तो कम किया जा सके या फिर बिल्कुल ही रोका जा सके। इन विकल्पों में से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं–

- रुडोल्फ स्टीनर (Rudolf Steiner) द्वारा बायोडाइनमिक्स फार्मिंग (Biodynamics Farming) का विकल्प प्रस्तुत किया गया।
- मेडागास्कर में कृषि में रासायनिक उर्वरकों को कम करने हेतु 'सघन धान प्रणाली' (System of Rice Intensification-SRI) ने जोर पकड़ा। एसआरआई के द्वारा कम पानी और सीमित रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से धान (या चावल) की अधिक पैदावार सुनिश्चित की जाती है।
- फुकोका (Fukuoka) द्वारा 'वन-स्ट्रा रिवोल्यूशन' (One-Straw Revolution) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया।
- भारत में भी गैर-रासायनिक उर्वरकों से खेती करने के विकल्प उभरकर सामने आये, यथा–
  - वैदिक खेती (Vedic Farming)
  - होमियो खेती (Homeo Farming)
  - नातू-इको फार्मिंग (Natu-eco Farming)
  - अग्निहोत्रा खेती (Agnihotra Farming)
  - अमृतपानी खेती (Amrutpani Farming)
  - शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming)

कृषि में रासायनिक उर्वरकों को सीमित या फिर पूरी तरह से बंद करने हेतु ऊपर जितने भी तरीके वर्णित किये गये हैं, उन्हें सामूहिक रूप से 'जैविक खेती' (Organic Farming) का नाम दिया जाता है।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती

जैविक खेती में 'जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' अपेक्षाकृत नया सिद्धांत या विकल्प है। भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सूत्रधार महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर माने जाते हैं। सुभाष पालेकर के प्रयासों से आज पूरे भारत में प्राकृतिक खेती (या नेचुरल फार्मिंग) का प्रचलन बढ़ा है। इस कार्य के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। सुभाष पालेकर के अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक राक्षसी पदार्थ हैं, इनका उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि मृदा में वे सारे पोषक तत्त्व मौजूद होते हैं जो किसी पौधे को वृद्धि हेतु आवश्यक हैं। प्राकृतिक तत्त्वों का प्रयोग करके मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं (यथा-बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी आदि) की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु मृदा में उपस्थित आवश्यक तत्त्वों को पौधों तक ले जाने का कार्य करते हैं।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती की तकनीक

शून्य बजट प्राकृतिक खेती की तकनीक को सामान्यतः चार चरणों में बाँटा जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है–

- **बीजामृत (Bijamrit):** इसमें गाय के गोबर, मूत्र आदि से बीज (Seeds) में लेपन (Coating) की जाती है ताकि सूक्ष्म जीवाणुओं का बीज रोपण के समय मृदा में प्रवेश हो सके।
- **जीवामृत (Jivamrit):** इसके तहत मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या गुड़, गाय के गोबर व मूत्र आदि से बढ़ायी जाती है।
- **मल्चिंग (Mulching):** इसमें मृदा को पत्तों, कृषि अपशिष्ट आदि से ढक दिया जाता है।
- **वाफसा (Waaphasa):** वाफसा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अंतिम चरण है। मल्चिंग के तहत प्रयुक्त पत्ते व कृषि अपशिष्ट को अपघटित व मृदा में मिश्रित, वाफसा चरण में किया जाता है ताकि मृदा में वायु-मिश्रण (Aeration) और ह्यूमस (Humus) उत्पन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि मृदा में वायु-मिश्रण से तात्पर्य मृदा के बीच के स्थान में वायुमण्डल की हवा का भर जाने से है जबकि ह्यूमस से अभिप्राय मृदा में जैविक तत्त्वों, सूक्ष्म जीवाणुओं, नमी आदि की उपस्थिति से है।

उपर्युक्त चार चरणों के अलावा यदि फसल में कोई बीमारी या कीटों का प्रकोप हो जाये तो अग्निास्त्र, ब्रह्मास्त्र व नीमास्त्र विधियों का प्रयोग करके फसल की रक्षा की जाती है। इन विधियों में गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम, मिर्च इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती का उद्देश्य

- कम पानी/ सिंचाई के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाना।
- रासायनिक उर्वरकों/ कीटनाशकों के प्रयोग में कमी लाना।
- मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना।
- खेती की लागत कम करके अधिकतम लाभ लेना।
- किसानों की बाजार पर निर्भरता में कमी लाना।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लाभ

- रासायनिक खेती की तुलना में शून्य बजट प्राकृतिक खेती में विभिन्न नगद और खाद्य फसलों की उच्च पैदावार की दर देखी गयी है। उदाहरण के लिए 2017 के पायलट चरण में इस खेती से प्राप्त कपास की उपज औसतन 11% अधिक थी। इसी प्रकार का अंतर अन्य फसलों में भी देखा गया है।
- प्राकृतिक खेती में एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों के रोपण से न केवल आय में वृद्धि होती है बल्कि पोषक तत्वों को भी बल मिलता है।
- जैविक खेती में अकसर बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी लागत उच्च होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती लाभदायक सिद्ध होगी।
- प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे खेतों में सूखे और बाढ़ का सामना करने की क्षमता सामान्य खेतों की अपेक्षा अधिक होती है।
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती से किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के संबंध में एक बड़ी राहत प्रदान करता है।
- प्राकृतिक खेती में उत्पादन लागत शून्य होती है इसलिए किसानों को ऋण के जाल से मुक्ति मिलती है।
- प्राकृतिक खेती पर्यावरण की दृष्टिकोण से सही है, इसीलिए इसे पर्यावरणीय मित्र खेती भी कहा जा रहा है। इसके तहत पानी की कम से कम खपत होगी।
- प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए भारत को विदेशों से उर्वरक को आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे कि पूँजी की बचत होगी।
- स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती लाभदायक है। इससे उत्पन्न खाद्यान से स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। बीमारी कम होने से आम आदमी की गरीबी दूर होगी।
- प्राकृतिक खेती से महिला सशक्तिकरण भी होगा क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक खेती में कृषि लागत कम होने से महिलाएँ कृषि की ओर अधिक आकृष्ट होंगी।
- जब कृषि में घातक रसायनों का प्रयोग होता है तो किसान इनके संपर्क में आकर गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और कभी-कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है।

- प्राकृतिक खेती में संसाधनों (यथा-जल, विद्युत आदि) का उत्तम दोहन होता है अर्थात् इनकी बर्बादी नहीं होती है।
- प्राकृतिक खेती से खाद्य शृंखला में विषाक्त तत्त्वों का जैव-संचयन एवं जैव-आवर्द्धन नहीं होता है।

पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषकों (Pollutants) का प्रवेश

पारितंत्र की खाद्य शृंखला में संदूषक (या प्रदूषक) जब प्रवेश कर जाते हैं तो ये जीवों के स्वास्थ्य में गंभीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पारितंत्र में संदूषकों से संबंधित निम्न अवधारणायें हैं:

- **जैव-संचयन (Bioaccumulation):** 'हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों' (Pollutants) का किसी जीव में इकट्ठा होना 'जैव-संचयन' कहलाता है। प्रदूषक खाद्य शृंखला के विभिन्न पोषण स्तर में पहुँच जाते हैं और ये जीवों के द्वारा उपापचयित (Metabolism) भी नहीं हो पाते हैं।
- **जैव - आवर्द्धन (Biomagnification):** जैव-आवर्द्धन का तात्पर्य है कि खाद्य शृंखला में जैसे-जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर हम बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे इन प्रदूषकों (Pollutants) का सांद्रण भी बढ़ता जाता है अर्थात् बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों का सांद्रण भी बढ़ता जाता है।

आलोचना

वर्तमान में कई वैज्ञानिक एवं संस्थाओं (यथा- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान आदि) ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की कई आधारों पर आलोचना की है, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रणेताओं का मानना है कि भारत की मृदा में वो सभी जरूरी पोषक तत्त्व हैं जो किसी पौधे के वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से यह सिद्ध हो चुका है भारत की मृदा में कई आवश्यक तत्त्वों की कमी है। यहाँ की 59% ऐसी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन की कमी, 49% मृदा में फास्फोरस की कमी, 48% प्रतिशत मृदा में पोटेशियम की कमी है। इसके अतिरिक्त आयरन, मैगनीज, बोरान, मॉलिबडेनम, कॉपर आदि सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी है। लेकिन प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले गोमूत्र, गोबर आदि से मृदा में जरूरत से काफी कम पोषक तत्त्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि) का निर्माण हो पाता है। कुल मिलाकर भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की मृदा में अलग-अलग पोषक तत्त्वों की कमी पायी जाती है। कई क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि भूमि लवणीय या बंजर है और औद्योगिक प्रदूषण आदि की वजह से विषाक्त है, तो ऐसे में किस प्रकार प्राकृतिक खेती के द्वारा पौधों को पोषक तत्त्व उपलब्ध होंगे।
- वास्तव में प्राकृतिक खेती 'जीरो बजट की खेती' नहीं है क्योंकि इसमें नीम, गोबर, गोमूत्र, मिर्च इत्यादि का प्रयोग होता है जिससे किसान का खर्च बढ़ता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती में श्रम तथा सिंचाई आदि हेतु भी खर्च आता है। बड़े किसान कृषि कार्य हेतु बाहर से मजदूरी पर श्रमिकों को रखते हैं और जब वह प्राकृतिक विधि से खेती करेंगे तो उनका खर्च और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती श्रम गहनता पर आधारित है। गोबर, गोमूत्र, नीम, मिर्च इत्यादि का खेती में प्रयोग काफी श्रम वाला कार्य है।
- जो सरकारी एजेंसियाँ प्राकृतिक खेती को देश में कार्यान्वियत कर रही हैं, उनके अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी का 'प्राकृतिक खेती' पर कोई अध्ययन नहीं है। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पंतनगर, उत्तराखण्ड) ने एक फील्ड ट्रायल (Field Trial) कराया है, जिसके मुताबिक प्राकृतिक खेती से पैदावार में 30 प्रतिशत की कमी आती है।

सुझाव

- सरकार को किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना को और बेहतर तरीके से कार्यान्वियत करना होगा, ताकि पता चल सके कि किस क्षेत्र की मृदा में कौन से पोषक तत्त्वों की कमी है। पोषक तत्त्वों की कमी को पूरा करने हेतु किसानों को 'पोषक तत्त्वों के समन्वित प्रबंधन' को अपनाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पोषक तत्त्वों के समन्वित प्रबंधन में मृदा में पोषक तत्त्वों की हर स्रोत (यथा-जैविक विधि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, रासायनिक उर्वरक आदि) से कमी पूरी की जाती है।
- प्राकृतिक खेती में वर्मी कम्पोस्ट की आलोचना की गयी है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड केंचुए का प्रयोग किया जाता है, अतः सरकार को इसमें देशी केंचुए के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- सरकार को ऐसी कृषि नीति बनानी चाहिए जिससे मृदा की धारणीयता एवं स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण आदि सुरक्षित हो सके। इसके लिए सरकार को कृषि के परम्परागत तरीके एवं आधुनिक तकनीकों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

वर्तमान में कृषि में प्रयुक्त होने वाले घातक रासायनिक उर्वरकों के नुकसान से लगभग सभी लोग सहमत हैं, इसलिए सरकार एवं आम जनता दोनों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिससे कि कृषि की उत्पादकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ जैवविविधता, पर्यावरण आदि भी सुरक्षित रहें। प्राकृतिक खेती पर सरकार को और भी अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) करना चाहिए ताकि इसके लाभ एवं चुनौतियों का सही से पता चल सके। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक खेती की विधियों में कुशलता लाने एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को भी समाहित करने बल दिया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में पराली दहन : वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारक

प्र. खरीफ फसल के अवशेषों (पराली) के अनुचित प्रबंधन ने उत्तर भारत (मुख्यत: दिल्ली - एनसीआर) में किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं? इससे निपटने हेतु अपने मौलिक सुझावों को प्रस्तुत करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सर्दियों में दिल्ली को पराली के प्रदूषण से बचाने हेतु 'एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (Advanced Air Quality Early Warning System-AAQEWS) को विकसित किया है।

परिचय

- सर्दियों में पूरे उत्तर भारत में विभिन्न कारणों के चलते वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को रबी की फसल की बुवाई हेतु जल्दी खाली करने के लिए उत्तर भारत (मुख्यत: पंजाब व हरियाणा राज्य) के किसान फसल के अवशेष अर्थात् पराली को जलाते हैं।

एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वर्निंग सिस्टम क्या है

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था 'भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे' ने पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु सराहनीय कार्य किया है। इस संस्थान ने एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस सिस्टम के तहत 15 साल का पराली जलाने (Stubble Burning) का डाटा एकत्र किया गया है। इस डाटा के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जायेगा कि किसान कब और कहाँ पर अपनी फसल के अवशेष को जला सकते हैं। एएक्यूईडब्ल्यूएस के डाटा को सी-डैक (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC) द्वारा विश्लेषित किया जायेगा।

कारण

- खरीफ सीजन की फसलों (मुख्यत: धान) को यदि किसान हाथों से काटेगा और फसल अवशेष को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से निपटान करेगा तो उसे इस कार्य में न सिर्फ ज्यादा वक्त लगेगा बल्कि श्रम लागत (Labour Cost) भी अधिक हो जाती है। इससे कृषि का लागत मूल्य काफी उच्च हो जाता है और किसान को घाटा होता है। अत: इस स्थिति से बचने के लिए और रबी की फसल की सही समय पर बुवाई हेतु किसान अपने फसल के अवशेष (पराली) को जलाना उचित समझता है।
- किसानों में ऐसा भ्रम भी फैला हुआ है कि फसल के अवशेष को जलाने के बाद व्युत्पन्न हुई राख मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है।

पराली के जलाने से हानि

- पराली या अन्य फसल अवशेषों को जलाने से मृदा की उर्वर क्षमता नष्ट होती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी हो जाती है। इस कारण अगली फसल में उच्च उत्पादकता हेतु किसान और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करता है। इससे देश पर खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ने के साथ-साथ किसानों की कृषि लागत भी बढ़ जाती है। चूँकि रासायनिक खाद का भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है तो इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है और देश के विदेशी भण्डार में कमी आती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान इसी तरह पराली को जलाते रहे और उसकी भरपायी हेतु अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब समूचे क्षेत्र की भूमि बंजर हो जायेगी। इस प्रक्रिया में अनियंत्रित रूप से भूमिगत जल का दोहन भी भूमिका निभायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजाब व हरियाणा में धान की खेती और उसके अवशेषों को जलाना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करने की ओर अग्रसर है।

सुझाव

- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने धान की कई नयी उन्नत प्रजातियाँ विकसित की हैं जो ना केवल अन्य प्रचलित प्रजातियों से अधिक उत्पादन देंगी बल्कि ये कम पानी के प्रयोग से ही जल्दी तैयार हो जाती हैं और इनमें कीटों, बीमारियों आदि का प्रकोप भी कम होता है। सरकार के द्वारा इन प्रजातियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि इनके प्रयोग से किसानों की कृषि लागत कम आये और रबी की बुवाई हेतु ज्यादा समय भी मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खेती से अधिक फायदा सुनिश्चित होगा तो किसान खुद अपने खर्चे से पराली का प्रबंधन, इस्तेमाल और निस्तारण बहुत ही सरल जैविक और प्रदूषण रहित तरीके से करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पूरे देश में सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों पराली जलाते हैं, इसका प्रमुख कारण रबी फसल की बुवाई हेतु कम समय व मजदूरों की कमी है।

आगे की राह

- सरकार के दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम सराहनीय हैं, किन्तु इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन को और अधिक सुनिश्चित करना होगा। सरकार को सिर्फ पराली के उचित प्रबंधन पर ही ध्यान न

देकर अन्य प्रदूषण के क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आइआइटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने का हिस्सा सिर्फ 25 प्रतिशत ही रहता है, बल्कि बाकी 75 प्रतिशत हिस्सा अन्य प्रदूषण के स्रोतों से आता है। ■

2. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ का विचार : एक विश्लेषण

प्र. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बताते हुए, क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने देश में लोगों को न्याय मिलने की देरी पर चिंता जतायी तथा इस समस्या के समाधान के लिये उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय खण्डपीठ को स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली अथवा भारत के किसी स्थान पर खण्डपीठ का गठन कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 145(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत अपील की पद्धति, प्रक्रिया व विनियमन के लिये भी नियम बना सकती है।
- चूँकि वर्तमान में न्यायपालिका के पास अपीलीय मामलों की संख्या अधिक है, अत: वह इन मामलों के लिये क्षेत्रीय खण्डपीठ का भी गठन कर सकती है।

पक्ष में तर्क

- सर्वोच्च न्यायालय तक आम लोगों को पहुँचने में अधिक धन और समय खर्च करना पड़ता है जिससे न्याय महँगा हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये भी क्षेत्रीय खण्डपीठ की जरूरत है।
- भारतीय उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के बोझ के कारण निर्णय में तीव्रता नहीं है। इससे पीड़ित व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतएव इन समस्याओं के उचित निपटारे के लिये सर्वोच्च न्यायालय के खण्डपीठ का सुझाव दिया जा रहा है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह विधिक तंत्र को इस प्रकार सुनिश्चित करे कि सभी को समान अवसर के साथ न्याय सुलभ हो सके। किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक परिस्थिति या अन्य निर्योग्यता के आधार पर न्याय के समान अवसर से वंचित न होना पड़े। न्याय के क्षेत्र को विस्तारित करने के लिये भी खण्डपीठ के गठन की जरूरत है क्योंकि यह आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है कि वह अपनी भौगोलिक, आर्थिक एवं किसी सामाजिक दबाव के कारण न्याय से वंचित न रह जाये।

विपक्ष में तर्क

- विधि आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार मानने से इंकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि इससे एकीकृत न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा।
- कुछ न्यायाधीशों जैसे एच एल दत्तू का यह तर्क है कि क्षेत्रीय खण्डपीठ की स्थापना से न्यायालय की प्रतिष्ठा धूमिल होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि क्षेत्रीय खण्डपीठ के गठन से न्यायिक विकेन्द्रीकरण होगा जिससे न्यायिक विश्वास में कमी आयेगी।
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन पर किये जा रहे खर्च के लिये पर्याप्त बजट आवंटित नहीं हो रहा है तो क्या इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिये पर्याप्ट बजट उपलब्ध कराया जा सकेगा जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

आगे की राह

- कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं जिनमें कोलकाता, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में क्षेत्रीय खण्ड-पीठ का गठन भी किया गया है। इन क्षेत्रीय खण्डपीठ का गठन, उक्त राज्यों के भौगोलिक रूप से बड़ा होने के कारण तथा न्याय तक सभी की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये यह किया गया है। ऐसे में यह सवाल ठीक ही है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जो कि इतने बड़े देश के लिये एक ही जगह पर है, उसका क्षेत्रीय विभाजन शायद अनुचित नहीं है। बहरहाल इसका समाधान देश की संसद और न्यायपालिका को मिल-जुलकर निकालना होगा जिससे आम व्यक्ति को सस्ता और उचित समय में न्याय मिल सके। ■

3. ड्रॉफ्ट मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 : एक परिचय

प्र. 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' के मसौदे में किस तरह के प्रावधान वर्णित किये गये हैं? इन प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में संघ शासित प्रदेश 'चंडीगढ़' के प्रशासन ने गृह मंत्रालय से चंडीगढ़ में 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' (Model Tenancy Act, 2019-MTA) को लागू करने की सिफारिश की है।

परिचय

- भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) के मसौदे को तैयार किया था। हालाँकि इससे पहले भारत सरकार ने 'बजट 2019-20' में इस प्रकार के अधिनियम को बनाने की बात की थी ताकि भारत में हाउसिंग सेक्टर की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

आवश्यकता क्यों

- 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग एक करोड़ घर खाली पड़े हैं जबकि भारी संख्या में लोगों के पास रहने हेतु घर नहीं है।

- कई बार ऐसा देखा गया है कि मकान मालिक किरायेदारों का अनावश्यक शोषण करते हैं, अतः इस शोषण से बचाने हेतु मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के प्रारूप को लाया गया।

एमटीए, 2019 प्रारूप के प्रावधान

- एमटीए में शिकायत समाधान की मजबूत व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किराया प्राधिकरण (Rent Authority), किराया न्यायालय (Rent Court) और किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) शामिल हैं।
- मॉडल अधिनियम संपूर्ण राज्य (भारत) यानि राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।

आलोचना

- भारत में ज्यादातर किरायेदारी समझौता लिखित में न होकर मौखिक ही होते हैं, अर्थात् मकान मालिक जान-पहचान वाले व्यक्ति को भरोसे पर किराये पर मकान या अन्य परिसर दे देता है। मॉडल अधिनियम में इस प्रकार के मौखिक समझौतों के बारे में किसी भी तरह के प्रावधान नहीं हैं।
- भारत में अभी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित है, जो किसी भी प्रकार के दस्तावेजीकरण से बचता है। अतः ऐसे में आलोचकों का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद भी लोग किरायेदारी की औपचारिक व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते हैं।

सुझाव

- मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा का मसौदा जब व्यावहारिक धरातल पर अधिनियम के रूप में आये तो इसके प्रावधानों व प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफार्म को जो लोग प्रयोग कर पाने में अक्षम हैं उन्हें 'डोर-स्टेप डिलीवरी' जैसी सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए, अर्थात् प्रशासन लोगों के घर खुद जाकर सुविधाएँ प्रदान करे।

आगे की राह

- यद्यपि मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 के मसौदे में अनेक अच्छे प्रावधान दिये गये हैं परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। यह मसौदा अभी भी जनता की राय जानने हेतु पब्लिक डोमेन में है, जिस पर लोगों ने अपनी राय व सुझाव भी दिये हैं, अतः सरकार को लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए इस मसौदे को एक प्रगतिशील कानून की शक्ल देनी चाहिए ताकि किरायेदारी क्षेत्र का भी समयानुकूल विकास हो सके। ■

4. राज्यों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का रिपोर्ट कार्ड : एक मूल्यांकन

प्र. भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास करने के बावजूद राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग-कंडिशनेलिटी रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स फॉर 2018-19 (Health System Strengthening-Conditionality Report of States For 2018-19) जारी की है।

राज्यों के प्रदर्शन का मानक

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत राज्यों को प्रत्येक वर्ष निधि प्रदान की जाती है। विदित हो कि राज्यों के प्रदर्शन का जिन मानकों पर आकलन किया गया है, उनमें स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का संचालन (Health and Wellness Centre's-HWCs), एनएचएम कार्यक्रम के तहत शामिल जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (शहरी और ग्रामीण दोनों) की ग्रेडिंग शामिल हैं।

नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रणाली रिपोर्ट

- पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा का बेहतर माहौल रहे और इस क्षेत्र में लगातार विकास होता रहे, इसके लिए केन्द्र सरकार सजग है। अलग अलग राज्यों में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीति आयोग ने जून में स्वास्थ्य प्रणाली रिपोर्ट, 2018-19 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड पूर्ण टीकाकरण के न्यूनतम मानदंडों को भी पूरा नहीं कर सके, इसलिए इन राज्यों की स्थिति पर विचार तक नहीं किया गया और उन्हें दण्ड के रूप में ऋणात्मक अंक दिए गए।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार द्वारा 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 54,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मंत्रालय के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 97 प्रतिशत का आवंटन किया गया जो कि 52,800 करोड़ रुपये है। इसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 1800 करोड़ रुपय (3%) का आवंटन किया गया।

मौजूदा चुनौतियाँ

- भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके अपेक्षाकृत परिणाम नहीं निकल पाये हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा में लगातार सुधार की कोशिशों के बावजूद कई राज्यों में कुपोषण से मौत के मामले में कोई कभी नहीं आयी है। देश में सालाना करीब 14 लाख बच्चों की मौत हो रही है जिसमें से 7 लाख से ज्यादा मौतें कुपोषण से ही हो रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, और राजस्थान की स्थिति ज्यादा गंभीर है।
- गौरतलब है कि देश में एनीमिया के शिकार बच्चे करीब 60 फीसदी हैं। वहीं 54 फीसदी महिलाएँ एनीमिया की शिकार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की महिलाओं में सबसे ज्यादा एनीमिया की समस्या पायी जाती है।
- बच्चों को लेकर एक और समस्या सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे प्री-डायबिटिक (Pre-diabitic) पाये जा रहे हैं। भारत में 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच करीब 9 फीसदी किशोर प्री-डायबिटिक हैं।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार के प्रयास सराहनीय हैं किन्तु विभिन्न राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गए प्रयास नाकाफी हैं। अब वक्त आ गया है कि राज्यों को अपने

यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य रैंकिंग प्रणाली में भविष्य में उनकी स्थिति में सुधार आये। ■

5. भारत और चीन : द्वितीय अनौपचारिक वार्ता बैठक, 2019

प्र. भारत और चीन के संबंधों में 'चेन्नई कनेक्ट' के निष्कर्ष किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की है। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अनौपचारिक वार्ता हेतु भारत आये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच वार्ता लगभग 1400 वर्ष पूर्व स्थापित ऐतिहासिक शहर मामल्लपुरम् (महाबलीपुरम्) में दो दिनों तक हुई। इस वार्ता में लिये गये फैसलों को 'चेन्नई कनेक्ट' (Chennai Connect) नाम दिया गया है।

चेन्नई कनेक्ट

- चेन्नई कनेक्ट में सीमा पर मतभेदों (Differencess) को संघर्षों (Conflicts) में न बदलने हेतु जोर दिया गया है। इसके लिए सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (Special Representative on Boundary Issue) की नियुक्ति की बात की गयी है। दरअसल 1990 के बाद चीन जब वैश्विक शक्ति बनकर उभरा तो उसने जानबूझकर सीमा विवाद में अपने पड़ोसियों को उलझाकर रखने की रणनीति अपनायी, लेकिन इसका खामियाजा यह हुआ कि भारत जैसे देशों का अमेरिका की ओर झुकाव बढ़ गया जो चीन के हितों के लिए अच्छा नहीं है।

वुहान के बाद की स्थिति

- वुहान समिट में सहमति बनी थी कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की वार्ता द्वारा आपसी मतभेदों को सुलझा लिया जायेगा, किन्तु एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप), सीपेक (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) आदि मुद्दों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। यहाँ तक कि डोकलाम (इस विवाद की पृष्ठभूमि पर वुहान वार्ता हुई थी) में भी समय-समय पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने यहाँ स्थायी संरचना (Permanent Structure) का निर्माण कर लिया है।

भारत व चीन के बीच गतिरोध के मुद्दे

- दोनों देश एक विशाल सीमा साझा करते हैं, जिसके कई हिस्सों में विवाद है। चीन, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना दावा (Claim) करता है तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा (Stapled Visa) जारी करता है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत द्वारा किये जाने वाले सैन्य अभ्यासों (Military Exercises) को चीन शक की निगाहों से देखता है और कभी-कभी अपनी चिंताएँ भी प्रकट करता है।

भारत-चीन के बीच सहयोग

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस की यात्रा पर गये थे और उन्होंने रूस के पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region) के विकास हेतु 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (Line of Credit) प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, ईस्ट एशिया क्षेत्र में और भी नयी-नयी मैत्री (Alliance) बनकर उभरी हैं, जैसे इस क्षेत्र में भारत, रूस और जापान का नया त्रिकोणीय सहयोग का संबंध उभरा है। इस सबसे ईस्ट एशिया क्षेत्र में चीन और रूस के बीच मैत्री कमजोर पड़ी है। अत: ऐसे में भी चीन का झुकाव भारत की ओर होगा।
- वैश्वीकरण में अनिश्चितता का दौर व्याप्त हैं, इसे शुरू करने वाले पश्चिमी देश अब इससे धीरे-धीरे नाता तोड़ रहे हैं जबकि 1990 के पहले विश्व दो ध्रुवों में बँटा था किन्तु सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व, अमेरिका की एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत चला गया। किन्तु अब वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है, यथा-भारत, चीन, जापान आदि। भारत और चीन जैसे देशों ने बहुध्रुवीयता की हमेशा से पैरोकारी की है।

आगे की राह

- भारत और चीन के बीच कई क्षेत्रों (यथा-सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक आदि) में आपसी सहयोग के साथ बढ़ने की पूरी संभावनाएँ हैं, जिनका दोनों देशों द्वारा बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को व्यापार घाटे को संतुलित करते हुए लगातार बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि आर्थिक निर्भरता ऐसा पहलू है जो धीरे-धीरे अन्य विवादों को गौण कर देगा। ■

6. नोबेल पुरस्कार-2019 : एक अवलोकन

प्र. वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त शोधों पर चर्चा करते हुए इनके महत्व को बतलाएँ।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में स्वीडन की संस्था ने विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की। विदित हो कि नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति व अर्थशास्त्र, के क्षेत्र में दिये जाते हैं।

परिचय

- नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ई० में डायनामाइट का अविष्कार किया था। वे विज्ञान की शक्ति को बखूबी समझते थे। साथ ही विकास के लिये निरंतर नए अनुसंधान की जरुरत को भी महसूस करते थे। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया तथा उनकी मृत्यु के बाद नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

- वर्ष 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में कोशिकाओं पर शोध करने वाले तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन वैज्ञानिकों के नाम हैं- अमेरिका के विलियम केलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर जे रैटक्लिफ।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

- भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडिएरक्वेलोज को दिया गया। जेम्स पीबल्स को यह पुरस्कार

ब्रह्माण्ड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिये दिया गया। वहीं मिशेल मेयर और डिडिएरक्वेलोज को 'एक सौर-प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लेनेट की खोज के लिये संयुक्त रूप से दिया गया।

रसायन विज्ञान में नोबेल

- रसायन विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार जान.बी गुडनफ, एम स्टैनली व्हीटिंगम और अकीरो योशिनों को प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार लीथियम बैटरी के विकास के लिये दिया गया। ये बैटरियाँ बेतार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगीं जिससे पोर्टेबल काम्पैक्ट डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल बनाना संभव हो सकेगा।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार

- वर्ष 2018 के लिये पोलिश लेखिका ओल्गा टोकार्कुजुक एवं वर्ष 2019 के लिये ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैडके को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया।
- ओल्गा का जन्म 1962 में पोलैण्ड में हुआ उन्होंने 1993 में पहला उपन्यास 'द जर्नी ऑफ द बुक पीपुल' लिखा। उन्होंने वर्ष 2014 में अपने ऐतिहासिक उपन्यास 'द बुक आफ जैकब' को प्रकाशित किया।

शांति में नोबेल पुरस्कार

- वर्ष 2019 का शांति के लिये नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार इरीट्रिया के साथ सीमा संघर्ष सुलझाने के लिये दिया गया।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

- वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनमें अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर शामिल हैं। यह पुरस्कार उनके शोध 'वैश्विक स्तर पर गरीबी से निपटने के लिये' दिया गया।

आगे की राह

- नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि शोध की महत्ता को बतलाता है। इन शोधों के विकास के साथ ही साथ समय-समय पर इनका प्रयोग भी मानव हित में किया जाता रहा है जिनके कारण विज्ञान नई-नई ऊँचाइयों को छू रहा है तो वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये प्रयोग किये जा रहे इन शोध सिद्धांतों का बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ■

7. शून्य बजट प्राकृतिक खेती : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

प्र. शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लाभ तथा चुनौतियों की चर्चा करने के साथ-साथ मृदा की धारणीयता हेतु उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में ग्रेटर नोएडा में सम्पन्न हुई 'यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन टू काम्बैट डेजर्टीफिकेशन' (UNCCD) की सीओपी (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण करते हुए किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती

- जैविक खेती में 'जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' अपेक्षाकृत नया सिद्धांत या विकल्प है। भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सूत्रधार महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर माने जाते हैं। सुभाष पालेकर के प्रयासों से आज पूरे भारत में प्राकृतिक खेती (या नेचुरल फार्मिंग) का प्रचलन बढ़ा है। इस कार्य के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। सुभाष पालेकर के अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक राक्षसी पदार्थ हैं, इनका उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि मृदा में वे सारे पोषक तत्त्व मौजूद होते हैं जो किसी पौधे को वृद्धि हेतु आवश्यक हैं।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लाभ

- रासायनिक खेती की तुलना में शून्य बजट प्राकृतिक खेती में विभिन्न नगद और खाद्य फसलों की उच्च पैदावार की दर देखी गयी है। उदाहरण के लिए 2017 के पायलट चरण में इस खेती से प्राप्त कपास की उपज औसतन 11% अधिक थी। इसी प्रकार का अंतर अन्य फसलों में भी देखा गया है।
- प्राकृतिक खेती में एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों के रोपण से न केवल आय में वृद्धि होती है बल्कि पोषक तत्वों को भी बल मिलता है।
- जैविक खेती में अकसर बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी लागत उच्च होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती लाभदायक सिद्ध होगी।

आलोचना

- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रणेताओं का मानना है कि भारत की मृदा में वो सभी जरूरी पोषक तत्त्व हैं जो किसी पौधे के वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से यह सिद्ध हो चुका है भारत की मृदा में कई आवश्यक तत्त्वों की कमी है। यहाँ की 59% ऐसी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन की कमी, 49% मृदा में फास्फोरस की कमी, 48% प्रतिशत मृदा में पोटेशियम की कमी है।

सुझाव

- सरकार को किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना को और बेहतर तरीके से कार्यान्वियित करना होगा, ताकि पता चल सके कि किस क्षेत्र की मृदा में कौन से पोषक तत्त्वों की कमी है। पोषक तत्त्वों की कमी को पूरा करने हेतु किसानों को 'पोषक तत्त्वों के समन्वित प्रबंधन' को अपनाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पोषक तत्त्वों के समन्वित प्रबंधन में मृदा में पोषक तत्त्वों की हर स्रोत (यथा-जैविक विधि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, रासायनिक उर्वरक आदि) से कमी पूरी की जाती है।

आगे की राह

- वर्तमान में कृषि में प्रयुक्त होने वाले घातक रासायनिक उर्वरकों के नुकसान से लगभग सभी लोग सहमत हैं, इसलिए सरकार एवं आम जनता दोनों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिससे कि कृषि की उत्पादकता सुनिश्चित होने के साथ-साथ जैवविविधता, पर्यावरण आदि भी सुरक्षित रहें। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

सीरिया पर तुर्की का हमला

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में तुर्की ने अमेरिकी सेना के हटते ही अपने पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी क्षेत्र (कुर्द बहुल क्षेत्र) में हवाई हमला (Air Strike) शुरु कर दिया है।

1.2 गौरतलब है कि तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को आतंकवादी मानता है, इस हमले में आम लोगों के हताहत की भी सूचना है। तुर्की ने इस हमले को ऑपरेशन पीस स्प्रिंग (Operation Peace Spring) नाम दिया है।

प्रमुख बिंदु

2.1 तुर्की सरकार सीरिया की सीमा से लगे 32 वर्ग किमी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special economic zone) के तौर पर विकसित करना चाहती है, जहाँ कुर्द लड़ाके मौजूद न हों। साथ ही तुर्की बफर जोन (Buffer zone) भी बनाना चाहती है, इससे तुर्की को उम्मीद है कि उसके देश में रह रहे करीब 10 लाख सीरियाई शरणार्थी वापस अपने देश लौट सकेंगे।

2.2 वहीं दूसरी ओर कुर्दों के नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (Syrian democratice Force) का कहना है कि वे अपने इलाके की सुरक्षा करेंगे। इस समूह ने यह भी कहा है कि अमेरिकी सैनिकों के यहाँ से लौटने पर यह इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो सकता है, और इस्लामिक स्टेट (IS) के फिर से सक्रिय होने का खतरा पैदा हो जाएगा।

2.3 गौरतलब है कि कुर्दों ने सीरिया में आइएस (IS) को हराने में अमेरिका की मदद की थी और वे आइएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के अहम सहयोगी थे।

कुर्द कौन हैं

3.1 एक वक्त उस्मानी साम्राज्य के केन्द्र रहे तुर्की में 20 फीसदी आबादी कुर्दों की है। कुर्द संगठन आरोप लगाते हैं कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को तुर्की में दबाया जा रहा है। ऐसे में कुछ संगठन 1980 के दशक से ही तुर्की में छापामार संघर्ष कर रहे हैं।

3.2 तुर्की में दो नस्लीय पहचान हैं- तुर्क और कुर्द। वर्तमान में कुर्द सांस्कृतिक स्वतंत्रता के साथ साथ कई वर्षों से आजादी की मांग कर रहे हैं। वे एक नया देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं।

3.3 कुर्द वैसे तो सुन्नी मस्लिम हैं, मगर उनकी भाषा, और संस्कृति अलग है। गौरतलब है कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था तभी से उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान लगभग स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कार्य कर रहा है।

तुर्की की चिंता

4.1 तुर्की इस बात से डरा हुआ है कि कुर्दों का क्षेत्र अपने आप में एक देश जैसा बना हुआ है, ऊपर से कुर्द लड़ाकों को आइएस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार भी मिले हुए हैं।

4.2 तुर्की इस बात से भी चिंतित है कि कुर्द इतने शक्तिशाली न हो जाएँ कि सीरिया में आइएस से जीते गए हिस्से को इराक के कुर्दिस्तान से जोड़कर बड़ा सा कुर्द राष्ट्र बना लें। ऐसा हुआ तो तुर्की के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

भारत की प्रतिक्रिया

5.1 भारत सरकार ने उत्तर पूर्व सीरिया पर हुए हमले में तुर्की से अपील की है कि वो सीरिया की क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करे। भारत ने जोर देकर कहा है कि ऐसी कार्रवाई क्षेत्र की स्थिरता एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगी।

5.2 सीरिया पर तुर्की के हमले से मध्य-पूर्वी देशों में तेल उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भारत को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

5.3 गौरतलब है कि हाल के दिनों में तुर्की की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने से दोनों देशों (भारत-तुर्की) के बीच खटास आई है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

6.1 फ्रांस ने तुर्की को हथियार सामग्रियों की नियोजित निर्यात पर रोक लगा दी है, साथ ही कई देशों ने तुर्की के हमले की निंदा की है। विदित हो कि फिनलैंड, नॉर्वे और नीदरलैण्ड पहले ही तुर्की को हथियार निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा कर चुके हैं।

6.2 इस बीच अमेरिका ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी है। उसने कहा है कि नये प्रतिबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों होंगे।

सिलिकोसिस एवं खनन सुरक्षा

माँग क्यों

2.1 स्थानीय मीडिया के अनुसार गंजबसौदा जिले के 40 गाँवों के लगभग 10,000 खनिकों को सिलिकोसिस बीमारी का खतरा है, इसलिए इस रोग से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की मांग की जा रही है।

चर्चा का कारण

1.2 गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों के लिए नई नीति जारी की है। इस नीति में मुख्य रूप से सिलिकोसिस के रोगियों की पहचान, उनके पुनर्वास और रोकथाम व बचाव के प्रावधान किये गये हैं। इसी का उदाहरण देते हुए खननकर्त्ताओं ने सरकार से अपील की है।

1.1 हाल ही में मध्य प्रदेश के गंजबसौदा जिले में सहरिया जनजाति (Saharia tribe) के खननकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि उनका तपेदिक के बजाय सिलिकोसिस रोग का इलाज कराया जाये।

सिलिकोसिस क्या है

3.1 सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस होती है। धूल सांस के साथ फेफड़ों तक जाती है और धीरे-धीरे यह बीमारी अपने पाँव जमाती है।

3.2 यह खासकर पत्थर के खनन, रेत-बालू के खनन, पत्थर तोड़ने के क्रेशर, कांच-उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने और रगड़ने जैसे उद्योगों के मजदूरों में पायी जाती है।

3.3 इसके साथ ही स्लेट-पेंसिल बनाने वाले उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को भी सिलिकोसिस अपनी गिरफ्त में लेती है। जहाँ इस तरह के काम बड़े पैमाने पर होते हैं वहाँ काम करने वाले मजदूरों के अलावा आसपास के रहवासियों के भी सिलिकोसिस से प्रभावित होने का खतरा होता है।

3.4 यह एक लाइलाज बीमारी है। इसे रोकने का आज तक कोई कारगर तरीका नहीं बनाया जा सका है। कंपनियों में मजदूरों को दिए जाने वाले मास्क के परीक्षण के बाद भी मास्क बारीक कणों को सांस के द्वारा अंदर जाने से रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाता है और सिलिका कण सांस के द्वारा पेफड़ों के अंदर तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते।

3.5 इसका नतीजा यह होता है कि वह फेफड़ों की दीवारों पर धीरे-धीरे जम कर एक मोटी परत बना लेते हैं। इससे फेफड़े ठीक से फैलना और सिकुड़ना बंद कर देते हैं। इससे सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। धीरे-धीरे सांस लेने की पूरी प्रक्रिया को यह प्रभावित करता है और आखिरकार आदमी की मौत हो जाती है।

रोकथाम के उपाय

4.1 वायु में स्फटिक सिलिका की नियमित जाँच करना जिसके संपर्क में खनिक रहते हैं। इसके अलावा स्फटिक सिलिका के संपर्क को कम करने के लिये गीली खुदाई करवाया जा सकता है जो धूल के उत्सर्जन को कम करता है।

4.2 कर्मचारियों को सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, फव्वारे आदि मुहैया कराया जाना चाहिए, साथ ही कर्मचारियों को सिलिका और उसके स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे से आगाह भी करना आवश्यक है।

4.3 कर्मचारियों को सुरक्षा के सामान के सही उपयोग हेतु प्रशिक्षण देना आवश्यक है तभी वे निर्देश चिह्नों का सही प्रयोग कर सकेंगे और जोखिमों से अवगत हो सकेंगे।

भारत में कानून

5.1 सिलिकोसिस को खान अधिनियम, 1952 और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया गया है।

सहरिया जनजाति

6.3 अधिकांश सहरिया या तो छोटे किसान हैं या मजदूर। इनका रहन-सहन और धार्मिक मान्यताएँ क्षेत्र के अन्य हिंदू समाज जैसी ही हैं किंतु गोदना गुदाने की परंपरा अभी भी प्रचलित है। सहरिया जनजाति मोटे अन्न पर निर्भर हैं, वे शराब और बीड़ी के विशेष शौकीन हैं।

6.2 ये जनजातियां मुंडा भाषा बोलती हैं, जो ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है।

6.1 सहरिया का अर्थ है शेर के साथ रहने वाला। सहरिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र अन्य जनजातियों के छोटे क्षेत्रों की तुलना में भिन्न प्रकार का है। यह जनजाति मध्यप्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में फैली हुई है। इसके अलावा यह जनजाति ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,राजस्थान और असम के मैदानी क्षेत्रों में भी पायी जाती है।

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

चर्चा का कारण

1.1 सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव की 550वीं जयंती पर भारत के राष्ट्रपति ने मानवता के आधार पर विभिन्न जेलों में बंद नौ सिख कैदियों को दी गयी मौत की सजा को क्षमादान में परिवर्तित करने का फैसला किया है।

परिचय

2.1 लगभग सभी संविधान कार्यपालिका के प्रधान को ऐसे व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देते हैं जिनका किसी अपराध के लिए विचारण और दोष सिद्धि हुआ हो कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई हो तो उसे सुधारा जा सके।

2.2 अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। यह शक्ति तीन प्रकार के मामलों में दण्ड को पूर्ण रूप से माफ करने या कम करने से जुड़ी है; ये मामले हैं:

- 2.2.1 संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में।
- 2.2.2 सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के मामले में।
- 2.2.3 मृत्यु दण्ड के मामले में भले ही वह संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है।

क्षमादान के प्रकार

3.1 लघुकरण (Commute): इसमें राष्ट्रपति दण्ड की प्रकृति बदल सकता है, जैसे मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास, कठोर सश्रम कारावास को साधारण कारावास में, आदि।

3.2 परिहार (Remission): दण्ड की प्रकृति को बदले बिना दण्ड की मात्रा को कम कर देना जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 7 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना।

3.3 प्रविलंबन (Reprieve): मृत्युदण्ड को विशेष परिस्थिति में अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना।

3.4 विराम (Respite): विशिष्ट आधारों पर दण्ड की कठोरता, मात्रा एवं प्रकृति तीनों में परिवर्तन जैसे-बुढ़ापे की दशा में 5 साल कठोर करावास को 3 साल के साधारण कारावास में बदल देना।

3.5 क्षमा (Pardon): सजा को पूरी तरह माफ कर देना, जैसे-10 वर्ष की कैद या मृत्युदण्ड पर क्षमा। इसमें अपराधी मुक्त कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति बनाम न्यायिक पुनर्विलोकन

4.1 मारूराम बनाम भारत संघ (1980) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय वहीं हस्तक्षेप करेगा जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय अनु. 72 के उद्देश्यों से पूर्णतः असंगत (Irrelevant) हो, या मनमाना (arbitrary), तर्कहीन (illogical), विभेदकारी (di-scriminatory) या असद्भावपूर्ण (malafide) हो। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केन्द्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए।

दया-याचिका के निस्तारण की प्रक्रिया

5.1 भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यक्ति की हत्या जैसे जघन्य अपराध, जिसका वर्तमान या भूतकाल में कोई दृष्टांत नहीं मिलता अर्थात वह मामला विरल से भी विरलतम है, में मृत्युदंड प्रारंभतः सत्र न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है।

5.2 दोषी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और अपील निरस्त हो जाने पर वह दंडादेश अंतिम हो जाता है और उसके निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

5.3 किंतु संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत व्यक्ति अपने दंड के क्षमादान के लिए 'राष्ट्रपति' के समक्ष दया-याचिका प्रस्तुत कर सकता है। दया-याचिका प्रस्तुत कर दिए जाने पर मृत्युदंड का निष्पादन याचिका पर निर्णय होने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

5.4 जब दया-याचिका राष्ट्रपति के समक्ष भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उसे गृह मंत्रालय/राज्य सरकार को भेज देते हैं। गृह मंत्रालय/राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति याचिका को स्वीकार करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति का निर्णय मंत्रिपरिषद के विनिश्चय पर आधारित होता है (अनुच्छेद 74), इसलिए इस पर 'राजनीतिक प्रभाव' स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

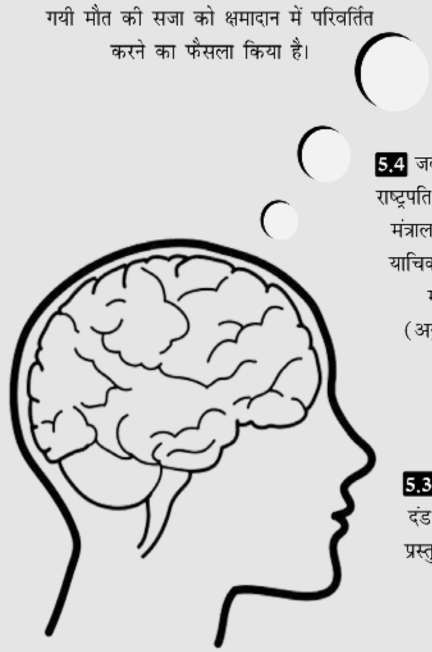

मामल्लपुरम

चर्चा का कारण

1.1 तमिलनाडु से करीब 50 किलोमीटर दूर पुरातनकालीन तटीय शहर मामल्लपुरम (महाबलीपुरम) में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक वार्ता हुई। विदित हो कि यह शहर चीन के फुजियान प्रांत के साथ मजबूत व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण अहम है।

परिचय

2.1 महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह देव वर्मन (630-668) ने की थी। नरसिंह देव को मामल्ल भी कहा जाता था, इसलिए शहर को मामल्लपुरम कहा जाता है। गौरतलब है कि 1985 में मामल्लपुरम विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल घोषित हुआ था।

2.2 तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर-तटों के लिए बेहद ही लोकप्रिय है। द्रविड वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। मामल्लपुरम पाँच रथों और अर्जुन की तपस्या स्थल और प्राचीन गुफाओं के लिए भी जाना जाता है।

2.3 सातवीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था और इस दौरान चीन के साथ कई स्तरों पर संबंध भी थे।

2.4 इस क्षेत्र में काफी समय पहले चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के मिले थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये इस बात के सबूत देते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह के जरिए इन देशों के साथ व्यापार होता था।

मामल्लपुरम ही क्यों

3.1 मामल्लपुरम और चीन के बीच का संबंध काफी पुराना है। जानकारों के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ से दूत चीन भेजे गए थे।

3.2 पुरातत्विदों की मानें तो इसी काल के चीन के सिक्के भी तमिलनाडु में पाए गए थे। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे।

3.3 प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग भी कांचीपुरम आए थे। माना जाता है कि वह मामल्लपुरम भी आए थे। इसके बाद उन्होंने शहर में मंदिरों के दर्शन करने शुरू किए थे। बौद्ध धर्म को जानने के लिए वह कांचीपुरम गए थे। इसके बाद वे चीन लौट गए और बौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार-प्रसार किया।

3.4 पूर्वी तमिलनाडु में पहली और दूसरी शताब्दी के मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि चीनी लोगों का यहाँ आना जाना था। इसी तरह से चीन में तमिल में लिखे पात्र मिलते हैं।

आध्यात्मिक संबंध

4.1 चीन और भारत के बीच व्यापारिक के अलावा आध्यात्मिक संबंध भी रहे हैं। इतिहासकारों का यह भी मत है कि चीन में लंबा समय व्यतीत करने वाले बोधिधर्म का संबंध पल्लवों से था।

4.2 गौरतलब है कि बोधिधर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु और विलक्षण योगी थे। इन्होंने 520 या 526 ई. में चीन जाकर ध्यान-सम्प्रदाय का प्रवर्तन और निर्माण किया। इन्होंने अपनी चीन-यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट केन्टन बन्दरगाह पर उतरे।

दर्शनीय स्थल

5.1 'कृष्ण का माखन लड्डू', इस अनोखे गोल पत्थर की ऊंचाई 6 मीटर और चौड़ाई करीब 5 मीटर है। इसका वजन 250 टन है। इस अनोखे गोल पत्थर को श्री कृष्ण के माखन के गोले के नाम से भी जाना जाता है।

5.2 इसके अतिरिक्त पंचरथ, अर्जुन तपस्या स्थल और शोर मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं।

पल्लव वंश

6.1 पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, लेकिन महाबलीपुरम को पल्लव अपनी दूसरी राजधानी की तरह महत्व देते थे। इस जगह पर पल्लवों ने पांचवीं सदी से आठवीं सदी के बीच शासन किया था।

6.2 पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक बड़ा साम्राज्य था। उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक इस साम्राज्य का विस्तार था।

6.3 अत्यंत वैभवशाली होने के नाते पल्लव साम्राज्य के विदेश से भी व्यापारिक संबंध थे। यहां से प्राप्त चीन और यूरोपीय देशों के तीसरी और चौथी सदी के सिक्कों से प्रमाणित होता है कि महाबलीपुरम उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था।

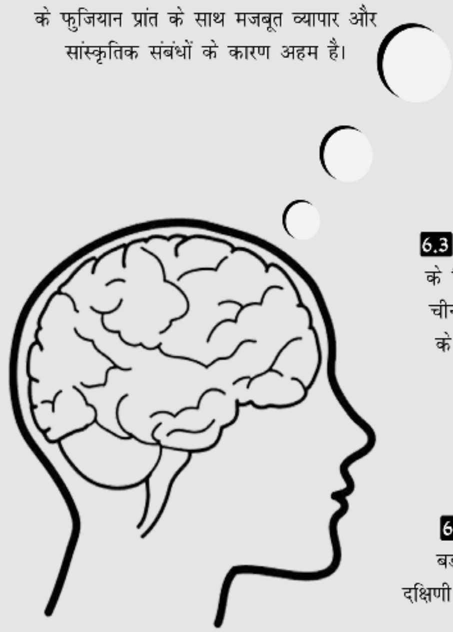

डॉल्फिन की गणना

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (World Wide Fund for Nature-India) की टीम ने बिजनौर के निकट बालावाली घाट से डॉल्फिन की गणना शुरू की है। गौरतलब है कि डॉल्फिन की लगातार घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष गंगा में इनकी गिनती करायी जाती है।

आवश्यकता क्यों

2.1 डॉल्फिन को बचाना काफी जरूरी है। देशभर में भले ही डॉल्फिन की संख्या घट रही है, लेकिन यहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है।

2.2 'मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन' अभियान के तहत विश्व प्रकृति निधि, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में डॉल्फिन गणना का कार्य चल रहा है। इसका उद्देश्य बिजनौर बैराज से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर बालावाली से नरौरा के बीच डॉल्फिन गणना करना है।

2.3 पूरे विश्व में मात्र साढ़े तीन हजार डाल्फिन शेष बची हैं। इनमें 80 प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं।

ऐसे होगी गणना

3.1 जहाँ डॉल्फिन दिखेगी उस जगह को जीपीएस से चिह्नित किया जाएगा और गूगल मैप पर उनकी लोकेशन देखकर गिनती की जाएगी।

3.2 एक अन्य बोट भी डॉल्फिन को देखकर स्थान को जीपीएस के लिए चिह्नित करेगी। इस तरह बोट द्वारा जीपीएस से चिह्नित लोकेशन को मिलाया जाएगा। जीपीएस की लोकेशन अलग-अलग मिलने पर दोनों डॉल्फिन को अलग अलग माना जाएगा।

डॉल्फिन

4.1 उल्लेखनीय है कि डॉल्फिन लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही है। ज्यादातर लोग इसे मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन डॉल्फिन मछली नहीं है, बल्कि एक स्तनधारी जल जीव है।

4.2 डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। यह आइयूसीएन (IUCN) की लुप्तप्राय सूची में शामिल है।

4.3 एक मनमौजी जीव होने के कारण लोग इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। डॉल्फिन का इंसानों के प्रति विशेष व्यवहार शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि धरती पर डॉल्फिन का जन्म करीब दो करोड़ वर्ष पूर्व हुआ।

4.4 प्रकृति ने डॉल्फिन के कंठ को अनोखा बनाया है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की करीब 600 आवाजें निकाल सकती है। डॉल्फिन सीटी बजाने वाली एकमात्र जलीय जीव है।

4.5 इस जीव के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सहयोगी संस्था व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण सभा द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया।

4.6 भारत ने वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया भारत सरकार ने डॉल्फिन के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए इन जीवों को बंद रखते हुए इनके शो करने पर प्रतिबंध भी लगाया है।

4.7 भारत, दुनिया का ऐसा पहला देश है, जिसने डॉल्फिन की बुद्धिमता और आत्मचेतना को मान्यता दी है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। साथ ही गंगा, चम्बल, घाघरा, गण्डक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियाँ हैं।

वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड

5.1 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है।

5.2 इसकी स्थापना 29 अप्रैल, 1961 को की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है।

5.3 इस संगठन का उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड (WWF) वर्ष 1998 से प्रत्येक दो वर्ष बाद लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

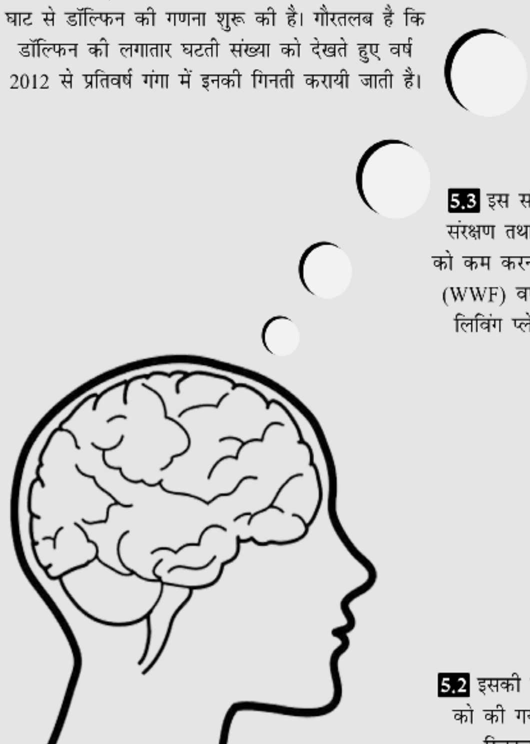

असम चाय उद्योग और श्रम कानून

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट के अनुसार असम चाय उद्योग से जुड़े मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जर्मनी में 240 रुपये में बिकने वाली असम की चाय के पैकेट के लिए यहाँ के मजदूरों को सिर्फ 32 पैसा मिलता है।

1.2 इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज और आक्सफैम इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि असम के चाय बागानों में मजदूरों के अधिकारों का किस बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 रिपोर्ट में कहा गया है कि 12-13 घंटे काम करने के बावजूद बागान मजदूरों को रोजाना 137 से 167 रुपए ही मिलते हैं। इसके अलावा उन्हे बागानों में मौलिक सुविधाएँ भी हासिल नहीं हैं।

2.2 रिपोर्ट के मुताबिक, असम सरकार ने बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा कर 351 रुपए करने की पहल की थी। लेकिन बागान प्रबंधन वित्तीय दिक्कतों का हवाला देकर इसके लिए सहमत नहीं हुआ।

2.3 मजदूरों के साथ हुआ वेतन समझौता बीते दिसबंर में खत्म होने के बावजूद अब तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। बागान मजदूरों के संगठन लंबे अरसे से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग में आंदोलन पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों के बराबर काम करने के बावजूद महिला मजदूरों को रोजाना 110 से 130 रुपए के बीच मजदूरी मिलती है।

2.4 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बागान मजदूर काफी बदहाली में काम कर रहे हैं। वह लोग बेहद गंदगी में जीवन बिताने पर मजबूर हैं और उनको पीने का साफ पानी या समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ भी नहीं मिलतीं।

2.5 लगभग आधे मजदूर पानी की वजह से होने वाली बीमारियों मसलन डायरिया, टाइफायड और पीलिया से पीड़ित हैं। बागानों में नवजातों की देख-रेख और शौचालयों की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से खासकर महिला मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

2.6 कई बागानों में भविष्य निधि की रकम कटने के बावजूद मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। आर्थिक स्थिति बदहाल होने का हवाला देकर कई बागानों में मजदूरों को रिटायर होने के बाद भी उनका बकाया नहीं मिलता।

असम में चाय उद्योग

3.1 पूर्वोत्तर राज्य असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। देश में चाय के कुल उत्पादन में असम का हिस्सा लगभग 55 फीसदी है। असम में चाय उद्योग का इतिहास लगभग सदियों पुराना है। वर्ष 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खोज की थी

3.2 राज्य में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के मैदानी भाग में चाय उगाई जाती है। अधिकांश चाय के बागान तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नागाँव और सोनितपुर जिलों में पाए जाते हैं।

इंडियन टी एसोसिएशन

4.1 इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना 1881 में की गयी थी। यह भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है।

4.2 इंडियन टी एसोशिएसन का प्रमुख कार्य टी बोर्ड, सरकार और अन्य संबंधित निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना है।

ऑक्सफैम

5.1 ऑक्सफैम 20 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में की गयी थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है।

5.2 ऑक्सफैम वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिये कार्य करता है।

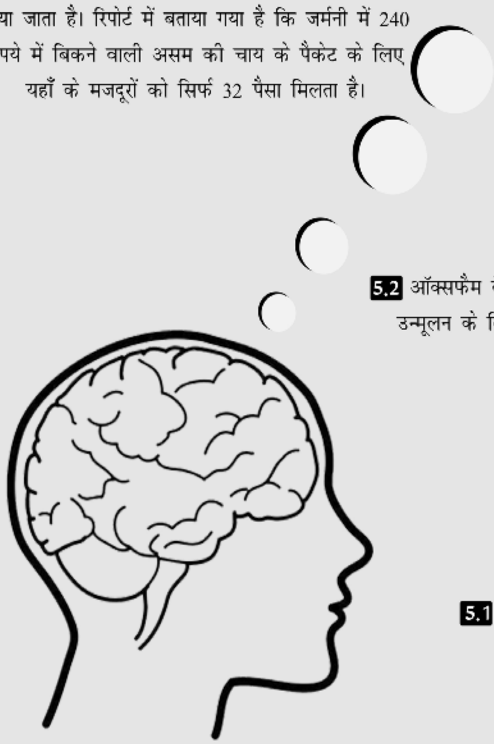

ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 'ग्रीन वॉल' तैयार करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

2.1 इस 'ग्रीन वॉल' को अफ्रीका महाद्वीप में बनाए गए 'वॉल' के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ पश्चिम की तरफ से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकना भी है।

2.2 अफ्रीका में सेनेगल से जिबूती तक बनी हरित पट्टी की तर्ज पर गुजरात से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' का निर्माण किया जाएगा। इस वॉल की लंबाई 1400 किलो मीटर जबकि चौड़ाई पांच किलोमीटर तक होगी।

2.3 अफ्रीका में इसका निर्माण पर्यावरणीय बदलावों और बढ़ते रेगिस्तान से निपटने के लिए किया गया है। इसे 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा' भी कहा जाता है। इसी से प्रेरणा लेते हुएभारत सरकार ने यह फैसला लिया है।

2.4 इसरो ने 2016 में एक तस्वीर जारी की थी जिसके मुताबिक गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ऐसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हैं, जहां 50 फीसदी से ज्यादा भूमि हरित क्षेत्र से बाहर है। इस कारण इन क्षेत्रों में रेगिस्तान का दायरा बढ़ रहा है।

लाभ

3.1 इसका निर्माण थार के रेगिस्तान के पूर्वी तरफ किया जाएगा। गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक इसका निर्माण किया जाएगा। इस ग्रीन वॉल से घट रहे वन क्षेत्रों में इजाफा होगा।

3.2 साथ ही गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट को भी कम किया जा सकेगा।

3.3 इस ग्रीन वॉल के निर्माण से पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।

3.4 भारत में घटते वन और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने का यह विचार हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (सीओपी14) से आया है। हालांकि अभी यह विचार मंजूरी के लिए आखिरी चरण में नहीं पहुंचा है।

2030 तक लक्ष्य

4.1 भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 2030 तक राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखकर साकार करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के तहत दो करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है।

अफ्रीका में 'ग्रेट ग्रीन वॉल'

5.1 अफ्रीका में 'ग्रेट ग्रीन वॉल' पर करीब एक दशक पहले काम शुरू हुआ था। यहाँ सेनेगल से जिबूती तक एक 'ग्रीन वॉल' का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई देशों की भागीदारी होने और उनकी अलग-अलग कार्यप्रणाली के चलते अब भी यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है।

5.2 इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र, साहेल (Sahel) में निवास करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।

5.3 साहेल इलाके में सूडान और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक भी आते हैं जो गृहयुद्ध से जूझ रहे हैं। इस इलाके में आर्थिक बदहाली चरम पर है

5.4 साहेल क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका का वह मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ उसके उत्तर का सहारा मरुस्थल दक्षिण के सवाना इलाके में परिवर्तित होना शुरू होता है। यह उत्तरी अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है; यानी उत्तरी अफ्रीका की पूरी चौड़ाई।

5.5 साहेल पूरब से पश्चिम तक इन देशों की सीमाओं से गुजरता है: एरिट्रिया, दक्षिण सूडान का उत्तरी भाग,सूडान का दक्षिणी भाग, चाड का मध्य भाग, अल्जीरिया और नाइजर का दक्षिणी भाग, माली का मध्य भाग, मौरितानिया का दक्षिणी भाग और सेनेगल का उत्तरी भाग।

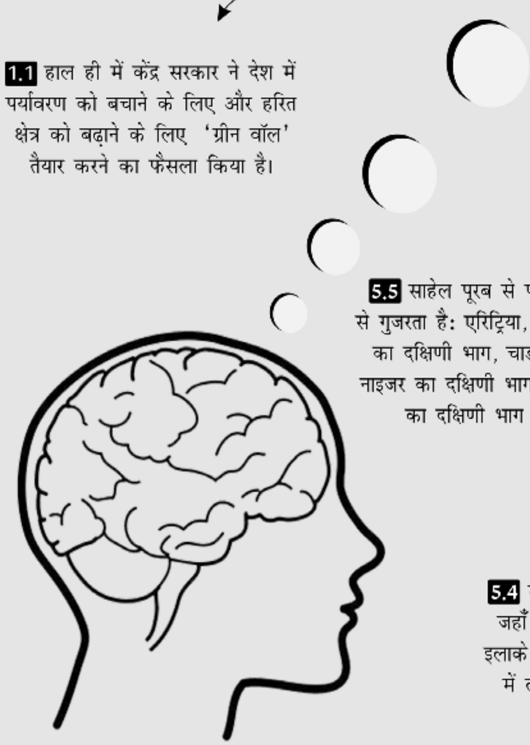

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सीरिया पर तुर्की का हमला

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में सीरिया में 10 लाख शरणार्थी मौजूद हैं।
2. तुर्की में 50 फीसदी आबादी कुर्दों की है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में तुर्की ने अमेरिकी सेना के हटते ही अपने पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी क्षेत्र (कुर्द बहुल क्षेत्र) में हवाई हमला (Air Strike) है। एक वक्त उस्मानी साम्राज्य के केन्द्र रहे तुर्की में 20 फीसदी आबादी कुर्दों की है। कुर्द संगठन आरोप लगाते हैं कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को तुर्की में दबाया जा रहा है। ऐसे में कुछ संगठन 1980 के दशक से ही तुर्की में छापामार संघर्ष कर रहे हैं। तुर्की में दो नस्लीय पहचान हैं- तुर्क और कुर्द। वर्तमान में कुर्द सांस्कृतिक स्वतंत्रता के साथ साथ कई वर्षों से आजादी की मांग कर रहे हैं। वे एक नया देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। सीरिया में आंतरिक अशांति के कारण 10 लाख शरणार्थी तुर्की में रहने को मजबूर हैं। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

2. सिलिकोसिस एवं खनन सुरक्षा

प्र. सिलिकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस होता है।
2. सिलिकोसिस को सरकार द्वारा अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
3. गीली खुदाई करने से सिलिकोसिस रोग से बचा जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस होती है। धूल सांस के साथ फेफड़ों तक जाती है और धीरे-धीरे यह बीमारी अपने पाँव जमाती है। यह खासकर पत्थर के खनन, रेत-बालू के खनन, पत्थर तोड़ने के क्रेशर, कांच-उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने और रगड़ने जैसे उद्योगों के मजदूरों में पायी जाती है। सिलिकोसिस को खान अधिनियम, 1952 और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 2 गलत है। जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

प्र. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है-

1. अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गयी है।
2. राष्ट्रपति आजीवन कारावास को मृत्युदण्ड में बदल सकता है।
3. राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को विशेष परिस्थिति में अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकता है।
4. अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति का प्रयोग केन्द्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए।

उत्तरः (2)

व्याख्याः अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। यह शक्ति तीन प्रकार के मामलों में दण्ड को पूर्ण रूप से माफ करने या कम करने से जुड़ी है; ये मामले हैं: संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में व सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के मामले में, मृत्यु दण्ड के मामले में भले ही वह संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। इस प्रकार कथन 2 गलत है। ■

4. मामल्लपुरम

प्र. मामल्लपुरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है।
2. यहाँ सूर्य मंदिर, रामवन व कुंती महल प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं।
3. मामल्लपुरम राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करती थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 3

उत्तरः (b)

व्याख्या: महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह देव वर्मन (630-668) ने की थी। नरसिंह देव को मामल्ल भी कहा जाता था, इसलिए इस शहर को मामल्लपुरम कहा जाता है। गौरतलब है कि 1985 में मामल्लपुरम विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल घोषित हुआ था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, लेकिन महाबलीपुरम को पल्लव अपनी दूसरी राजधानी की तरह महत्व देते थे। इस जगह पर पल्लवों ने पांचवीं सदी से आठवीं सदी के बीच शासन किया था। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर-तटों के लिए बेहद ही लोकप्रिय है। द्रविड वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। मामल्लपुरम पाँच रथों और अर्जुन की तपस्या स्थल और प्राचीन गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 एवं 3 गलत हैं। ■

5. डॉल्फिन की गणना

प्र. डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत ने 2015 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था।
2. डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम ब्लैटनिस्टा गंगैटिका है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (World Wide Fund for Nature-India) की टीम ने बिजनौर के निकट बालावाली घाट से डॉल्फिन की गणना शुरू की है। गौरतलब है कि डॉल्फिन की लगातार घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष गंगा में इनकी गिनती करायी जाती है। इस जीव के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सहयोगी संस्था व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण सभा द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत ने वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया भारत सरकार ने डॉल्फिन के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए इन जीवों को बंद रखते हुए इनके शो करने पर प्रतिबंध भी लगाया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

6. असम चाय उद्योग और श्रम कानून

प्र. असम में चाय उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. देश में चाय के कुल उत्पादन में असम का हिस्सा 10 फीसदी है।
2. राज्य में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के मैदानी भागों में चाय उगाई जाती है।
3. वर्ष 1900 में रॉबर्ट ब्रूस ने ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खोज की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) केवल 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: पूर्वोत्तर राज्य असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। देश में चाय के कुल उत्पादन में असम का हिस्सा लगभग 55 फीसदी है। असम में चाय उद्योग का इतिहास लगभग सदियों पुराना है। वर्ष 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खोज की थी राज्य में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के मैदानी भाग में चाय उगाई जाती है। अधिकांश चाय के बागान तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नागाँव और सोनितपुर जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत है। जबकि कथन 2 सही है। ■

7. ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. साहेल इलाके में दक्षिण अफ्रीका का भी भाग आता है।
2. अफ्रीका महाद्वीप में सेनेगल से जिबूती तक एक 'ग्रीन वॉल' का निर्माण किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: साहेल क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका का वह मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ उसके उत्तर का सहारा मरुस्थल दक्षिण के सवाना इलाके में परिवर्तित होना शुरू होता है। यह उत्तरी अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है; यानी उत्तरी अफ्रीका की पूरी चौड़ाई। साहेल इलाके में सूडान और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक भी आते हैं जो गृहयुद्ध से जूझ रहे हैं। इस इलाके में आर्थिक बदहाली चरम पर है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में 2019 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

   - ***मार्गरेट एटवुड और बर्नरडाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से***

2. हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?

   - ***102 वां***

3. हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?

   - ***कैस सैयद***

4. हाल ही में किस भारतीय नन को पोप फ्रांसिस ने संत घोषित किया है?

   - ***मरियम थ्रेसिया***

5. आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है?

   - ***आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर (ICON)***

6. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2019 मनाया गया। इस वर्ष बालिका दिवस की थीम क्या है?

   - ***Girl Force: Unscripted and Unstoppable***

7. हाल ही में 2018-19 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है?

   - ***प्रियदर्शन (निर्देशक)***

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत-मालदीव के संबंधों का संक्षिप्त में वर्णन करें, साथ ही बताएँ कि मालदीव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

2. जिस प्रकार जल की कमी के कारण फसलों की वृद्धि रूक जाती है, उसी प्रकार फसल को आवश्यकता से अधिक जल प्रदान करने से उनकी वृद्धि रूक जाती है तथा फसलें सूखने लगती है। चर्चा करें।

3. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के महत्त्व पर प्रकाश डालें।

4. इण्डिया कूलिंग एक्शन प्लान का संक्षिप्त वर्णन करें।

5. महासागरों के बिगड़ते स्वास्थ्य का धरती पर सीधा असर होता है। चर्चा करें।

6. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राजद्रोह कानून खतरा उत्पन्न करता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

7. काट्सा का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताएँ कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विश्व दृष्टिहीनता रिपोर्ट

बड़े राज्य-वृद्धिशील स्कोर और रैंक

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दृष्टिहीनता पर पहली रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व में लगभग 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टिहीनता से ग्रसित हैं।
- 1.8 बिलियन लोग, प्रेस्बोपिया (एक ऐसी स्थिति जिसमें आस-पास की वस्तुओं को देखना कठिन होता है) से ग्रसित हैं। यह रोग बढ़ती उम्र के साथ होता है।
- दृष्टिहीनता आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वाले लोगों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों आदि में अधिक पायी जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2.6 बिलियन लोग दूर दृष्टि दोष (मायोपिया) से ग्रसित हैं, इनमें से 312 मिलियन लोग 19 वर्ष से कम आयु के हैं।
- रिपोर्ट में अन्य दृष्टि दोषों से जुड़े हुए आँकड़े जैसे-मोतियाबिंद (65.2 मिलियन), ग्लूकोमा (6.9 मिलियन), कॉर्नियल ओपेसिटी (4.2 मिलियन), डायबिटिक रेटिनोपैथी (3 मिलियन), ट्रेकोमा (2 मिलियन) भी शामिल हैं।
- पश्चिमी और पूर्वी उप-सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के निम्न और मध्यम-आय वाले क्षेत्रों में दृष्टिहीनता की दर उच्च-आय वाले देशों की तुलना में आठ गुना अधिक है।
- महिलाओं में विशेषकर मोतियाबिंद और ट्रेकोमैटस ट्राइकियासिस (Cataract and Trachomatous Trichiasis) की दर अधिक है।
- ट्रेकोमा, आँख में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह कई देशों में खत्म हो चुका है, भारत भी इन देशों में शामिल है।

भारत के संदर्भ में

- भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिये चलाए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Control of Blindness-NPCB) की इस रिपोर्ट में सराहना की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, NPCB के तहत वर्ष 2016-2017 में, भारत में मोतियाबिंद से पीड़ित कुल 6.5 मिलियन लोगों की सर्जरी की गई।
- साथ ही कहा गया कि वर्ष 2016-2017 के दौरान लगभग 32 मिलियन बच्चों की स्कूल में जाँच की गई और लगभग 750,000 चश्मे वितरित किये गए। ■

2. मिजोरम एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट

हाल ही में मिजोरम एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध मिजोरम राज्य में एड्स (AIDS) के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। जनसंख्या कम होने के बावजूद देश में सबसे ज्यादा एड्स रोगी मिजोरम में ही हैं। इस रोग की एक प्रमुख वजह है असुरक्षित यौन संबंध। इससे यह लाइलाज बीमारी एक के साथ दूसरे को भी संक्रमित कर रही है। कैंसर की राजधानी के बाद मिजोरम देश में एचआईवी एड्स की राजधानी बन गया है।

मिजोरम में प्रतिदिन 9 एचआईवी पॉजिटिव (HIV Positive) मामले दर्ज हो रहे हैं। यह आंकड़ा देश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है। पिछले सप्ताह मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने एचआईवी एड्स के खतरे से लड़ने के लिए राज्य की जनता का आह्वान किया था। देश में 2.04 फीसदी की प्रचलित दर के साथ मिजोरम एचआईवी/एड्स के मामलों में सबसे आगे है। मणिपुर 1.43 फीसदी और 1.15 फीसदी के साथ नागालैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। असम के सिलचर और नागालैंड के दिमापुर में हाल के वर्षों में एचआईवी/एड्स के मामलों में कमी आयी है। लेकिन मिजोरम में एचआईवी/एड्स के 9 मामले प्रतिदिन आने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में बल्कि देश के लिए चिंता का विषय है।

- मिजोरम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निर्देशक डॉ. ललथ्लेन्गालिआनी ने बताया कि एचआईवी पॉजिटिव के मामलों के रोग निदान की सुविधाएं राज्यभर के सभी 44 आईसीटीसी केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। राज्य में पहला एचआईवी/एड्स का मामला 1990 में आया था अब तक कुल 19,631 एचआईवी/एड्स मामले पाये गये और करीब 2,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

युवा आ रहे हैं गिरफ्त में

- राज्य में एचाआईवी/एड्स पॉजिटिव के मामले सबसे ज्यादा असुरक्षित यौन संबंध से हो रहे हैं, जो लगभग 66.08 फीसदी है। 28.16 फीसदी सुई और सिरिन्ज की वजह से, माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरण 2.96 फीसदी, समलैंगिक संक्रमण से 1.03 फीसदी और 1.77 फीसदी मामले अन्य माध्यम से। आयु-वर्ग के हिसाब से मिजोरम में 42.38 मामले 25-34 वर्ष के लोगों में 26.46 फीसदी मामलें 35-49 आयु-वर्ग में और 23.03 फीसदी मामलें 15-24 आयु-वर्ग के लोगों में दर्ज हुए। ■

3. इलास्टोकेलोरिक प्रभाव

जर्नल साइंस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, इलास्टोकेलोरिक प्रभाव रेफ्रिजरेटर और एयर-कंडीशनर में उपयोग किये जाने वाले द्रव रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है।

इलास्टोकेलोरिक प्रभाव

- जब किसी रबर बैंड को घुमाया (Twisted) जाता है और फिर छोड़ (Untwisted) दिया जाता है तो यह शीतलन का प्रभाव उत्पन्न करता है इस प्रभाव को 'इलास्टोकेलोरिक प्रभाव' कहा जाता है।
- इलास्टोकेलोरिक प्रभाव ऐसे परिवर्तन हैं जो किसी बाहरी तनाव, बिजली या चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं।
- वर्तमान में कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतन प्रौद्योगिकियों (Refrigeration Technologies) की अधिक मांग के कारण इलास्टोकेलोरिक तथा विशाल केलोरिक प्रभाव वाले पदार्थों के विषय में व्यापक स्तर पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।
- रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किये जाने वाले तरल पदार्थों का रिसाव पर्यावरण के प्रति अतिसंवेदनशील होता है तथा ये ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के कारक हो सकते हैं।
- इलास्टोकेलोरिक प्रभाव में हीट एक्सचेंज उसी तरह से होती है जैसे द्रव रेफ्रिजरेंट को संकुचित और विस्तारित करने पर होता है।
- जब एक रबर बैंड को बढ़ाया जाता है, तो यह अपने वातावरण से गर्मी को अवशोषित करता है और जब इसे छोड़ा जाता है तो यह धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है।
- यह पता लगाने के लिये कि ट्विस्टेड मैकेनिजम (Twisted Mechanism) एक रेफ्रिजरेटर को कार्य सक्षम बनाने में कितनी सक्षम है, शोधकर्त्ताओं ने शीतलन के लिये रबर फाइबर, नायलॉन, पॉलीइथाइलीन, मछली पकड़ने के तार और निकल-टाइटेनियम जैसे तारों का प्रयोग किया।
- इसके लिये कुंडलित और सुपरकोलाइड फाइबर के मोड़ (Twisted) में परिवर्तन से उच्च शीतलन का अवलोकन किया गया।
- इस अवलोकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रबर बैंड में हीट एक्सचेंज की दक्षता का स्तर मानक रेफ्रिजरेंट की तुलना में अधिक पाया गया।
- इन निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि हरित, उच्च दक्षता और कम लागत वाली शीतलन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है। ■

4. ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया किया जो 15 मार्च तक लागू रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है कि इस प्लान के तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल जेनरेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा इसे लागू किया जा रहा है।

GRAP क्या है

इस एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली तथा यह 2017 में पहली बार लागू हुआ था। यह केवल आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है, जब प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। इस प्रकार इस योजना में औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्यवाही शामिल नहीं है। उल्लेखनीय है कि हवा बिगड़ने का क्रम निम्न है-मध्यम से खराब- बहुत खराब - गंभीर- गंभीर और आपातकालीन स्थिति। ■

5. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में प्लास्टिक प्रदूषण

विश्व के साफ-सुथरे तटों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के तटों पर प्रदूषण फैल रहा है। यह प्रदूषण समुद्र में विदेशों से बहकर आने वाले प्लास्टिक की वजह से है। निकोबार द्वीप के पाँच तटों पर किए गए एक सर्वे में पता चला है कि उसके पाँच बड़े तटों पर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है।

प्रमुख बिंदु

भारत सहित लगभग 10 देश (मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, चीन और जापान) द्वीप पर प्लास्टिक कचरे के जिम्मेदार हैं। इनमें कचरे का प्रतिशत क्रमशः 40.5% मलेशियाई मूल का, 23.9% इंडोनेशियाई मूल का तथा 16.3% थाईलैण्ड मूल का था जबकि संपूर्ण कचरे में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.2% है।

कचरे का कारण

इंडोनेशिया और थाइलैण्ड से प्लास्टिक कचरे में वृद्धि का कारण इनकी अंडमान द्वीप से निकटता हो सकती है। इसके अलावा मलक्का जलडमरुमध्य जो एक प्रमुख जलमार्ग है, जिसकी जल धाराओं के कारण प्लास्टिक ने द्वीप पर अपना रास्ता बना लिया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1044 वर्ग किमी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ की आबादी लगभग 8,069 है। यह द्वीप भारत की आदिम जनजाति शोम्पेंस का निवास स्थान है। भारत में चार जैव विविधता वाले आकर्षण केन्द्रों में से एक सुंडालैण्ड है जिसमें निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। ■

6. भारत डब्ल्यूइएफ के जी–20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज का हिस्सा बना

- भारत विश्व आर्थिक मंच (WEF) के 20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में शमिल हो गया है, जो दुनिया के 15 अग्रणी शहर नेटवर्क और प्रौद्योगिकी शासन संगठनों की एक लीग है। यह लीग स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।
- भारत का लीग में शामिल होना वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो सार्वजनिक स्थानों पर डेटा के संग्रह के बारे में जोखिमों को कम करने के साथ-साथ अधिक से अधिक खुलेपन और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है।

G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस

- जी–20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की स्थापना जून 2019 में जापान के ओसाका में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के संयोजन में की गई थी। यह एक ऐसा एलायंस है जिसमें दुनिया के 15 प्रमुख शहर नेटवर्क और प्रौद्योगिकी प्रशासन संगठन शामिल हैं। यह सार्वजनिक स्थानों में जुड़े उपकरणों के उपयोग के लिए वैश्विक मानदंड और नीति बनाना चाहता है।

लीग में शामिल भागीदार

- 2019 और 2020 में ग्रुप ऑफ 20 (जी–20) के अध्यक्ष और मेजबान राष्ट्र जैसे जापान और सऊदी अरब।
- भारत का स्मार्ट सिटी मिशन
- सिटीज टुडे इंस्टीट्यूट
- राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम
- कॉमनवेल्थ सेस्टेनेवल सिटीज नेटवर्क।
- यह साझेदार 200000 से अधिक शहरों और स्थानीय सरकारों, स्टार्ट-अप अनुसंधान संस्थानों, अग्रणी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महत्व

- जैसे-जैसे शहरों का विकास और विस्तार होता है वैसे-वैसे व्यापक अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां आती हैं। ये स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियाँ यातायात की भीड़ को कम करने, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, अपराधों के दौरान लचीलापन में सुधार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा उचित प्रशासन के बिना ये प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण जोखिम विशेष रूप से गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। ■

7. विज्ञान ज्योति कार्यक्रम

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) में महिलाओं की कम हिस्सेदारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने छात्राओं में इन क्षेत्रों के प्रति रूचि विकसित करने और इन विषयों के अध्ययन के लिए एक कार्यक्रम की योजना बनायी है, जिसे विज्ञान ज्योति कार्यक्रम नाम दिया गया है।

प्रमुख प्रावधान

- इस कार्यक्रम के तहत 2020-25 के दौरान 550 जिलों से 100 छात्राओं की पहचान की जाएगी। उनका चयन पर्सेंटाइल के आधार पर किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत चयनित छात्राओं की मुलाकात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्पोरेट वर्ल्ड, विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों की महिला नेताओं से करायी जाएगी।
- इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को कवर किया जाएगा।
- डीएसटी के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टेम विषयों में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी अभियांत्रिकी में सिर्फ 24 प्रतिशत, स्नातकोत्तर में महज 22 प्रतिशत, एमफिल में 28 प्रतिशत और पीएचडी स्तर पर 35 प्रतिशत है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. भारत नवीकरणीय ऊर्जा के 1,75,000 मेगावाट के लक्ष्य को समय में प्राप्त करेगा

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में वर्ष 2022 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 1, 75,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने संबंधी क्रिसिल रिपोर्ट पर आधारित मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट पर खंडन जारी किया है।
- सितम्बर 2019 के अंत तक भारत में 82,580 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा चुकी है और 31,150 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के विभिन्न चरणों में है।
- 2021 की पहली तिमाही तक भारत 1,13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना कर चुका होगा। यह लक्षित क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त 49,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें सितम्बर 2021 तक स्थापित कर दिया जायेगा।
- मंत्रालय इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यरत रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग, विकास, निवेशक और अन्य भागीदारकों ने पारदर्शी निविदा प्रणाली और उचित दरों पर बिजली खरीद में सुविधा के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की है।
- इसके फलस्वरूप सौर और पवन ऊर्जा के शुल्क में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। वर्ष 2016 में जहाँ पवन ऊर्जा 4.18 रुपए की दर पर थी वह गत वर्ष घटकर 2.43 रुपए रह गई और यह आज भी 2.75 प्रति यूनिट से कम है। सौर टैरिफ 4.43 रुपए प्रति यूनिट (वीजीएफ के साथ) से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट रह गई है।
- मार्च, 2014 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 138 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34,000 मेगावाट से बढ़कर 82,580 मेगावाट हो गई है। विश्व भर में भारत सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे और कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है।
- मंत्रालय भूमि आवंटन की समस्या से निपटने के लिए अल्ट्रा औमेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया में कार्यरत है। इन पार्क में निर्धारित वितरण सुविधा होगी। ऐसा पहला पार्क एसईसीआई द्वारा गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जायेगा।
- मंत्रालय ने तीन नई योजनाओं की शुरूआत की है। इन योजनाओं से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

2. उपग्रह पर आधरित संचार प्रणाली

- आपदा संबंधी चेतावनी के लिए आपातकालीन जानकारी और संचार तथा समुद्री राज्यों में मछुआरों के लिए चेतावनी तथा मछली संभावित जोन (पीएफजेड) के लिए केंद्र सरकार ने गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण (जैमिनी) का शुभारंभ किया।
- उपग्रह पर आधारित यह संचार प्रणाली आपात स्थिति में चक्रवाती तूफान, ऊंची लहरों और सुनामी से निपटने के लिए जानकारी प्रदान करने में सहायता दे सकती है।
- जहाँ पीएफजेड समुद्र में मछुआरों को मछली की जानकारी देगी वहीं ओएसएफ समुद्र की वास्तविक स्थिति राज्यों को बतायेगी। समुद्री राज्य भविष्य वाणी (ओएसएफ) में अगले पाँच दिनों के लिए दैनिक आधार पर हर छह घंटे में हवा, समुद्री धारा, पानी के तापमान आदि पर भविष्यवाणी सम्मिलित की गई है। इससे मछुआरों को अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
- हालांकि कई सारे माध्यमों द्वारा भविष्यवाणी जारी करने के बावजूद कोई भी संचार माध्यम मछुआरों के तट से 10 से 12

किलोमीटर दूर जाने के बाद कोई भी ऐसी जानकारी प्रदान नहीं कर पाता है। यह मछुआरों के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 50 नॉटिकल मील से आगे जाने और कभी-कभी 300 नॉटिकल मील तक जाने के दौरान प्रभावी नहीं रह जाता है।

- इसकी कमी 2017 में आये ओखी चक्रवाती तूफान के दौरान महसूस की गई जब चक्रवाती तूफान के प्रभावी होने से पहले मछुआरे समुद्र में जा चुके थे और उन्हें इस तूफान की जानकारी नहीं दी जा सकी। इसके फलस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई और बचाये गए लोगों को गंभीर चोट लगने के साथ-साथ मछली पकड़ने वाली नौकाओं और साजो-सामान को बड़ा नुकसान पहुँचा।
- इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ सहयोग कर गगन उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर मछुआरों को पीएफजेड, ओएसएफ और आपदा चेतावनी देने का काम शुरू किया। जैमिनी उपकरण गगन सेटेलाइट से प्राप्त डाटा को ब्लू टूथ कम्युनिकेशन द्वारा मोबाइल में प्राप्त किया जा सकता है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन से इस सूचना को नौ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाता है।
- पीएफजेड भविष्यवाणी मछुआरों के लिए बेहद मददगार साबित हुई है। आज छह लाख से अधिक मछुआरे अपने मोबाइल पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इससे उन्हें मछली ढूंढने में व्यर्थ होने वाले समय को बचाने में सहायता मिली है।

3. एम हरियाली

- भारत सरकार ने जून 2019 में सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया था कि वे अगले 100 दिन के भीतर विभिन्न जन कल्याण/विकास गतिविधियों को हाथ में लें और उन्हें कार्यान्वित करें। इसी दिशा में सरकार ने
- इस ऐप का उद्देश्य लोगों को पौधे लगाने और इस तरह के अन्य हरित उपाय करने के लिए प्रेरित करना है। इस माह के शुरू में, सुगम जीवन को बढ़ावा देने की गतिविधियों के तहत, संपदा निदेशालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 103 चुनी हुई सरकारी कालोनियों (76 दिल्ली में और 29 अन्य राज्यों में) में सार्वजनिक/साझेदारी की भागीदारी के जरिये निम्नलिखित गतिविधियाँ कराई-
    - पौधारोपण के जरिये खुले स्थान की सफाई और उसे हरा-भरा बनाना
    - वर्षा जल संचयन- जागरूकता और निर्माण
    - घर के कचरे को स्रोत पर अलग करने के बारे में संवेदनशीलता और घरेलू वनस्पति खाद का अनुस्थापन और क्षमता निर्माण
- अब तक फलों के पौधे सहित 21,756 पौधे इन 103 कालोनियों में लगाए जा चुके हैं और पौधारोपण में 3800 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया।
- 25 जल संचय अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है और 307 प्रणालियों को बढ़ाया गया है। कचरे को अलग करने और घरेलू कम्पोस्टिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, 57, 782 एसएमएस सरकारी कॉलोनियों के आबंटितों को भेजे गए हैं और जनता को संवेदनशील बनाने के लिए 76 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई।

4. भारत और सिएरा लियोन

- भारत और सिएरा लियोन ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर बल देने पर सहमति प्रकट की, ताकि अफ्रीका और भारत में रहने वाली एक तिहाई मानव आबादी को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने से संबंधित निकायों में सही स्थान प्राप्त हो सके।
- भारत ने सिएरा लियोन में उच्चायोग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की है जबकि दोनों देशों ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति प्रकट की है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और सामूहिक रूप से आतंकवाद से निपटने की जरूरत सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देशों के लगभग समान रुख को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर 10 सदस्यों वाली अफ्रीकी संघ समिति (सी-10 समूह) की अध्यक्षता सहित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सिएरा लियोन की भूमिका की सराहना की।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सिएरा लियोन के साथ विशेष संबंध हैं और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध समान मूल्यों और साझा दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत, सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन में 4000 सैनिकों वाले दस्ते की तैनाती के साथ योगदान देने वाले शुरूआती देशों में शामिल रहा है।
- सिएरा लियोन के विकास संबंधी कार्यों में कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारत की

सहायता अब तक 217.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। पेयजल परियोजना के लिए 15 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया गया। दोनों देशों के नागरिकों के बीच बढ़ते संपर्क पर प्रकाश डालते हुए भारत ने आवागमन की सुविधा के लिए सिएरा लियोन के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान की है तथा दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट देने संबंधी समझौते पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।

- भारत की पैन-अफ्रीका टेली-एजुकेशन, टेली मेडिसिन पहलों, ई-विद्याभारती और ई-आरोग्य भारती में सिएरा लियोन के भाग लेने के संबंध में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5. सरस आजीविका

- केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरस आजीविका मेला नारी-शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लाखों गरीब महिलाएँ अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं और ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही हैं।
- यह मेला महिला सशक्तीकरण का सच्चा उदाहरण है, क्योंकि इसमें 29 राज्यों और संघशासित प्रदेशों से लगभग 500 ग्रामीण एसएचजी महिला शिल्पकारों ने 200 से अधिक मंडप लगाए हैं।
- इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को दर्शाएंगी और क्षेत्रीय व्यंजनों वाला फूड कोर्ट भी मौजूद होगा।
- पिछले साढ़े चार वर्षों में अपने जीवन और समाज को बेहतर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने वाली ग्रामीण महिलाओं की संख्या ढाई करोड़ से बढ़कर लगभग 6 करोड़ 30 लाख हो गई है।
- अब तक एसएचजी द्वारा लगभग 88,000 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किए गए हैं और उनका एनपीए केवल 2 प्रतिशत है, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए।
- सरस आजीविका मेला, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम की सहायता से गठित किए गए ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अपने कौशल दर्शाने, अपने उत्पाद बेचने और थोक खरीदारों के साथ संबंध बनाने में मदद करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाना है।
- सरस आजीविका मेले में भागीदारी के माध्यम से, इन ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को शहरी ग्राहकों की मांग और पसंद को समझने का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अनुभव मिलता है। मेले का आयोजन मंत्रालय की विपणन शाखा, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- मेले के दौरान ग्रामीण एसएचजी महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जो उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने और बुक कीपिंग और जीएसटी, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, विपणन / ई-मार्केटिंग, संचार कौशल आदि में अपने हुनर को बढ़ाने में मदद करेंगी।

6. वरुणा

- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मैसूरु के वरुणा ग्राम में जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के परिसर का शिलान्यास किया।
- वरुणा ग्राम में जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का 'ग्लोबल कैम्पस' श्री शिवराथरी राजेन्द्रमहास्वामी को श्रद्धांजलि है, जिनकी 104 वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है।
- जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना 2008 में हुई थी और आज इसे स्वास्थ्य विज्ञान का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है।
- देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की ओर इंगित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमने हाल के वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी विकास की दिशा में स्वास्थ्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। एक देश के रूप में हमें संचारी, गैर-संचारी तथा नए और उभरते रोगों के तिहरे बोझ की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग भी हम पर भारी दबाव डालते हैं। हमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हमारी विशाल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी हैं। इन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के समाधानों का व्यापक और बहु-आयामी होना आवश्यक है।
- उन्हें आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान दोनों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्हें मन और शरीर दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें रोकथाम और उपचार दोनों शामिल करना चाहिए।

7. भारत और कोमोरोस

- भारत और कोमोरोस ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने के प्रयासों के तहत रक्षा सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- अन्य समझौता ज्ञापनों में स्वास्थ्य और चिकित्सा, कला और संस्कृति और टेली-एजुकेशन (ई-विद्या भारती) और टेली-मेडिसिन (ई-आरोग्य भारती) के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत बनाने पर बल दिया गया। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को अल्पकालीन यात्राओं और विदेश कार्यालय परामर्श से संबंधित प्रोटोकॉल के लिए वीजा में छूट देने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- इन समझौता ज्ञापनों पर उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू और कोमोरोस के राष्ट्रपति श्री अजाली असौमानी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
- मित्रता की असाधारण भावना दर्शाते हुए कोमोरोस के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट' से सम्मानित किया।
- एक समान विजन भारत और कोमोरोस को एकता के सूत्र में बांधता है, एक समान महासागर दोनों देशों को जोड़ता है-यह मित्रता का महासागर है और कदम-कदम से मिलाकर आगे बढ़ने का विजन है।
- इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, उपराष्ट्रपति ने हिंद महासागर में सहयोगपूर्ण सुरक्षा संरचना के अंग के रूप में भारत और कोमोरोस के बीच समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंधों को व्यापक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हिंद महासागर के तटीय देशों के रूप में, हमारी समुद्री सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है।"
- श्री नायडू ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए निरंतर समर्थन करने के लिए कोमोरोस के राष्ट्र पति का आभार प्रकट किया।
- श्री नायडू ने यह भी घोषणा की कि भारत 1 मिलियन डॉलर मूल्य की दवाईयां और चिकित्सा उपकरण, वाहनों के लिए 1 मिलियन डॉलर, तेज रफ्तार वाली इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए 2 मिलियन डॉलर और 1000 एमटी चावल भेंट करेगा। उन्हों ने मोरोनी में 18 मेगावॉट का बिजली घर और एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 41.6 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता देने की भी घोषणा की।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. बड़े राज्य : समग्र प्रदर्शन के स्कोर और रैंक के साथ वृद्धिशील स्कोर और रैंक

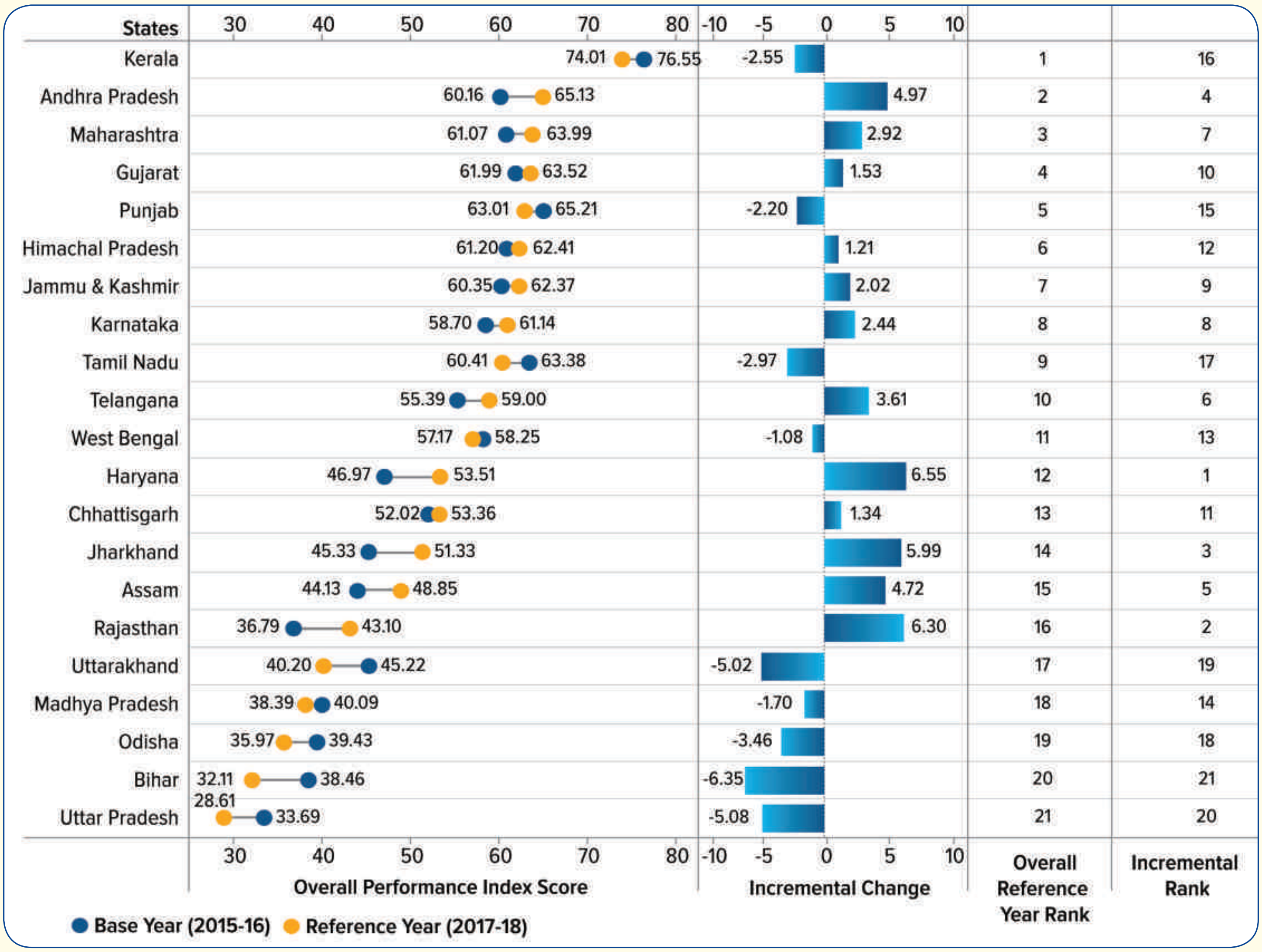

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2015-16 से 2017-18 तक स्वास्थ्य सूचकांक में बदलाव केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों में अलग-अलग स्तर पर देखा गया है।
- चित्र पर नजर डालें तो देखेंगे कि बड़े राज्यों में हरियाणा, राजस्थान और झारखण्ड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, जबकि केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने समग्र प्रदर्शन (Overall Performance) के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- स्वास्थ्य में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने के कारण हरियाणा को 6.55 अंक, राजस्थान को 6.30 अंक तथा झारखण्ड को 5.99 अंक प्राप्त हुए हैं।
- हालांकि समग्र प्रदर्शन के मामले में ये राज्य सूचकांक स्कोर की सीमा के निचले दो तिहाई में से हैं, जबकि समग्र क्षेत्र में केरल 74.01 अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार है। इसके बाद क्रमश: आंध्र प्रदेश (65.13) और महाराष्ट्र (63.99) का स्थान है।
- आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार किया तथा वे समग्र प्रदर्शन में भी अग्रणी रहे हैं।
- आंध्र प्रदेश का स्वास्थ्य के संकेतकों में उच्च प्रतिशत (63) है, जो सबसे बेहतर (Most Imporved) या सुधार (Improved) की श्रेणी को दर्शाता है।

2. वृद्धिशील प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर बड़े राज्यों का वर्गीकरण

Incremental Performance	Overall Performance		
	Aspirants	Achievers	Front-runners
Not Improved (0 or less)	Madhya Pradesh Odisha Uttarakhand Uttar Pradesh Bihar	West Bengal	Kerala Punjab Tamil Nadu
Least Improved (0.01-2.0)	–	Chhattisgarh	Gujarat Himachal Pradesh
Moderately Improved (2.01-4.0)	–	–	Maharashtra Jammu & Kashmir Karnataka Telangana
Most Improved (more than 4.0)	Rajasthan	Haryana Jharkhand Assam	Andhra Pradesh

महत्वपूर्ण तथ्य

- बड़े राज्यों की बात करें तो शीर्ष 10 राज्यों में से सात राज्यों ने आधार वर्ष (2015-16) से संदर्भ वर्ष (2017-18) तक अपने स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में लगातार सुधार किया है, जबकि कई राज्यों (सशक्त कार्रवाई समूह-EAG) ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जिससे इन बड़े राज्यों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी अंतर पैदा हो गया है।
- शीर्ष दस बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से सात राज्यों ने स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- इनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं, जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड एवं राजस्थान शामिल हैं।
- गौरतलब है कि सशक्त कार्रवाई समूह वाले राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा शामिल हैं।
- राज्यों को वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है- कोई सुधार नहीं (<=0 वृद्धिशील परिवर्तन); न्यूनतम सुधार (0.01 से 2.0 अंकों तक); मामूली सुधार (2.01 से 4.0 अंक तक) और सर्वाधिक सुधार (>4 अंकों से अधिक)।

3. छोटे राज्य : समग्र प्रदर्शन के स्कोर और रैंक के साथ वृद्धिशील स्कोर और रैंक

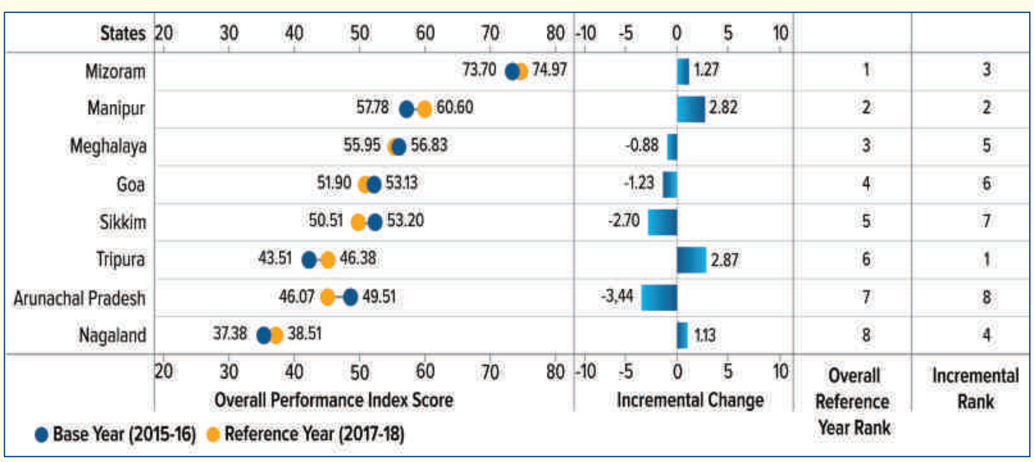

महत्वपूर्ण तथ्य

- छोटे राज्यों में, मिजोरम ने समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष दो राज्य हैं।
- मिजोरम ने समग्र प्रदर्शन में 73.70 से 74.97 की वृद्धि दर्ज की है।
- बड़े राज्यों की तुलना में छोटे राज्यों ने समग्र प्रदर्शन स्कोर में मामूली वृद्धि की है।
- हालांकि 2017-18 में चार छोटे राज्यों के समग्र प्रदर्शन में गिरावट देखी गयी है। छोटे राज्यों में से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में बड़ी कमी दर्ज की गयी।
- गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश ने समग्र प्रदर्शन स्कोर में बड़ी गिरावट (49.51 से 46.07) दर्ज की है।
- सिक्किम में स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में गिरावट देखी गयी, क्योंकि सिक्किम ने स्वास्थ्य के कई संकेतकों, जैसे-संस्थागत प्रसव, टीबी मामले की अधिसूचना दर, टीबी उपचार सफलता दर, पहली तिमाही एएनसी (जन्म पूर्व देखभाल), जन्म पंजीकरण का स्तर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन किया है।
- वहीं अरुणाचल प्रदेश में समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में कमी, पाँच संकेतकों जैसे- टीबी. उपचार सफलता दर, सभी कर्मचारियों के लिए ई-पे स्लिप, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24×7 संचालन, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट के लिए जिम्मेदार थी।

4. वृद्धिशील प्रदर्शन और समग्र प्रदर्शन के आधार पर छोटे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्यों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है- अग्रणी (Front Runner): शीर्ष एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 62.82 से अधिक); सफल (Achievers): मध्य एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 50.67 से 62.82 के मध्य); आकांक्षी (Aspirants): न्यूनतम सुधार एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 50.67 से कम)
- केन्द्र शासित प्रदेशों को संदर्भ वर्ष सूचकांक स्कोर सीमा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है: अग्रणी (Front Runner): शीर्ष एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 56.30 से अधिक); सफल (achievers): मध्य एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 48.98 और 56.30 के मध्य); आकांक्षी: न्यूनतम एक तिहाई (सूचकांक स्कोर 48.98 से कम)।

Small States

Incremental Performance	Overall Performance		
	Aspirants	Achievers	Front-runners
Not Improved (0 or less)	Arunachal Pradesh Sikkim	Meghalaya Goa	–
Least Improved (0.01-2.0)	Nagaland	–	Mizoram
Moderately Improved (2.01-4.0)	Tripura	Manipur	–
Most Improved (more than 4.0)	–	–	–

UTs

Incremental Performance	Overall Performance		
	Aspirants	Achievers	Front-runners
Not Improved (0 or less)	Andaman and Nicobar	Delhi Lakshadweep	
Least Improved (0.01–2.0)			
Moderately Improved (2.01–4.0)		Puducherry	
Most Improved (more than 4.0)	Daman and Diu		Chandigarh Dadra and Nagar Haveli

- तीन केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इनमें शामिल हैं- लक्षद्वीप, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली।

5. केन्द्र शासित प्रदेश : समग्र प्रदर्शन के स्कोर और रैंक के साथ वृद्धिशील स्कोर और रैंक

महत्वपूर्ण तथ्य

- केन्द्र शासित प्रदेशों में चंड़ीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली को समग्र प्रदर्शन (चंडीगढ़-1 और दादर एवं नगर हवेली-2) के साथ-साथ वृद्धिशील प्रदर्शन (दादर एवं नगर हवेली-1 और चंडीगढ़-2) के आधार पर शीर्ष रैंकिंग दी गई है।

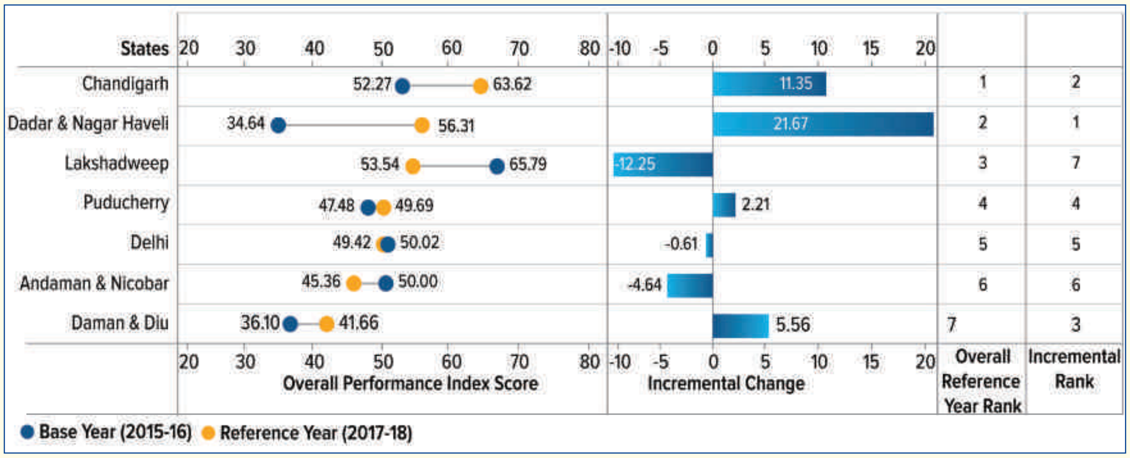

- लक्षद्वीप और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में बड़ी गिरावट काफी हद तक स्वास्थ्य परिणाम संकेतकों के निराशजनक प्रदर्शन से हुई है।
- लक्षद्वीप स्वास्थ्य सूचकांक के पाँच संकेतकों में से तीन संकेतकों, जैसे- जन्म के समय कम वजन, पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव में गिरावट देखी गई, जबकि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चार संकेतकों, जैसे- पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, टीबी मामले की सूचना और टीबी उपचार सफलता दर में गिरावट दर्ज की गई है।

6. संदर्भ वर्ष (2016-17) में संयुक्त सूचकांक स्कोर और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (वर्तमान मूल्य पर)

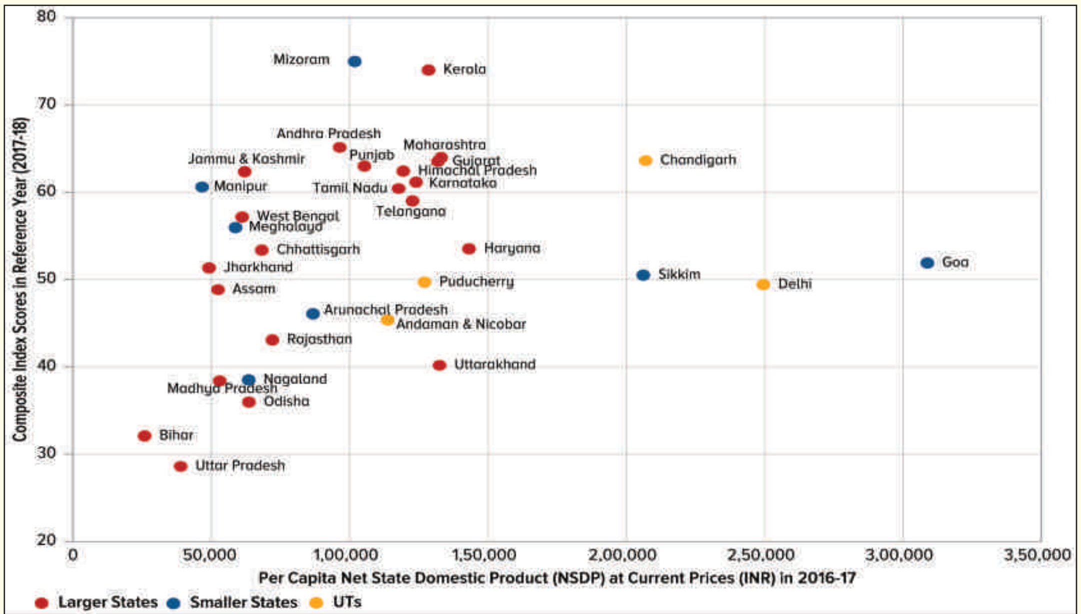

Source: Directorate of Economics & Statistics of respective State Governments.

महत्वपूर्ण तथ्य

- स्वास्थ्य सूचकांक और आर्थिक विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध होता है। यह संबंध राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net State domestic Product-NSDP) द्वारा मापा जाता है।
- यद्यपि कुछ राज्यों ने, जिनका आर्थिक विकास निम्न है, उन्होंने स्वास्थ्य सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है, इनमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं।
- इन राज्यों से उन राज्यों को सबक लेने की आवश्यकता है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कैसे निम्न आर्थिक विकास दर होने के बावजूद स्वास्थ्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी किया जाए। यह उन सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि निम्न विकास दर होने के बावजूद स्वास्थ्य सूचकांक में वृद्धि की जा सकती है।
- दूसरी ओर उच्च आर्थिक विकास दर वाले कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में शामिल हैं- गोवा, दिल्ली और सिक्किम।

7. संयुक्त सूचकांक में आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष में वृद्धिशील परिवर्तन

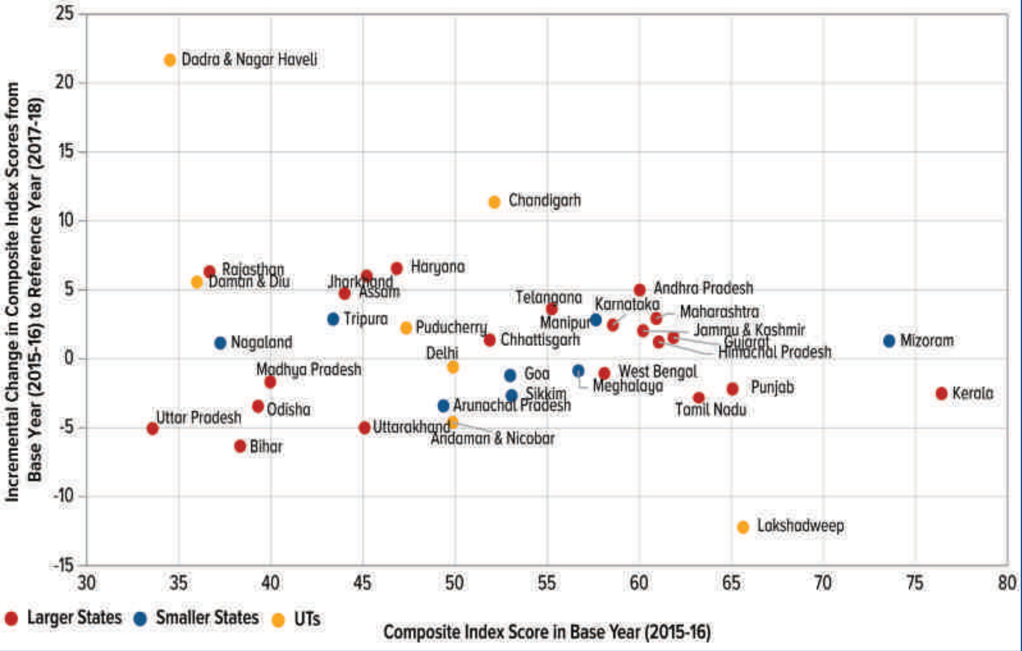

महत्वपूर्ण तथ्य

- केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष तक के प्रदर्शन में संकीर्ण या कम अंतर है।
- केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में स्वास्थ्य सूचकांक में एक विशेष लक्षण देखने को मिला है, वह यह है कि आधार वर्ष में जिन केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अच्छा था, संदर्भ वर्ष में उनके स्वास्थ्य प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गयी।
- दूसरी ओर जिन केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन आधार वर्ष में अपेक्षाकृत खराब था, उनके संदर्भ वर्ष के स्वास्थ्य प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
- बड़े व छोटे राज्यों के प्रदर्शन को देखा जाए तो आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष तक में सुधार अथवा गिरावट की स्थिति एक जैसी ही बनी रही।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

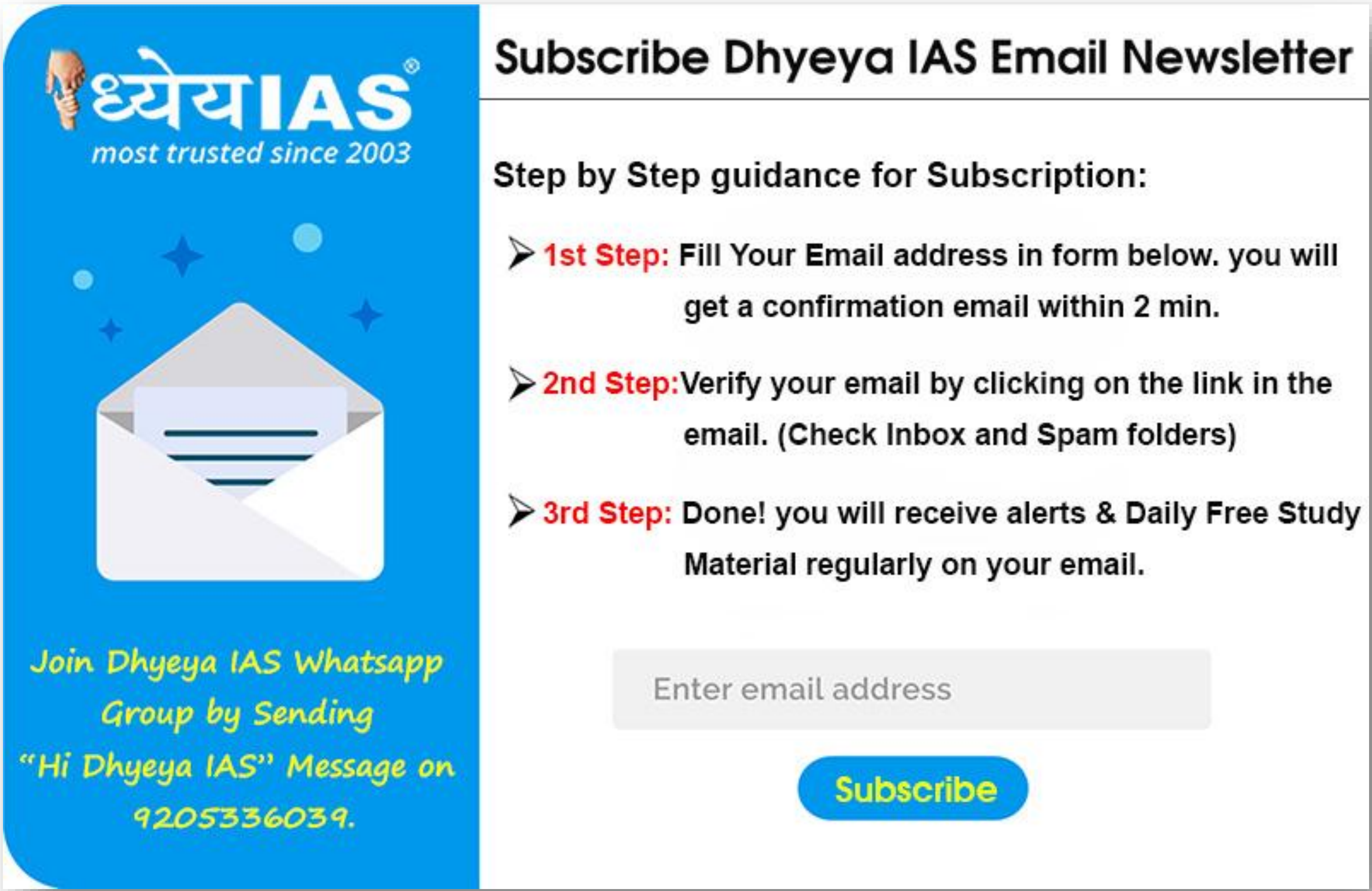

most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400